कुरबानी

क्यूं और कैसे ?

अल्लामा बहाऊल मुस्तफ़ा क़ादरी

www.jannatikaun.com

अन्जुमन तहफ़्फ़ुज़े ईमान

की इस्लाही पेशकश

अब तो जाग मुसलमां

की

पांचवी किस्त

कुरबानी क्यूं और कैसे

JANNATI KAUN?

न. स़. अ़ल्लामह निज़ामउद्दीन नूरी रज़वी
मुतरजिम - इन्जीनियर ह़सन सईद ख़ाँ

ऐ मुसलमानों! अब यह बुकलेट उर्दू, हिन्दी, कन्नड़ और
अंग्रेज़ी इस्लाम व मुसलिम सिर्फ़ कुरआनी में है।

SANNIDHI KAUN?

क्या कहाँ है?

1. नअते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5
2. मुफ़ीद जहमत 6
3. अन्जुमन तहफ्फुजे ईमान का तआरुफ़ 8
4. दअवते इस्लामी - एक फ़ितनह 12
5. पेश लफ्ज 14
6. ऐहलेसादात का मकाम 17
7. कुरबानी क्यूं और कैसे? 18
8. कुरबानी का मफ़हूम 19
9. फ़जाइल व फ़वाइद 30
10. गौर से पढ़ें 33
11. शराइते मकबूलियत-ईमान ,इखलास ,हलाल माल 33
12. ऐहकाम व मसाइल 40
13. मालिके निसाब कौन है? 40
14. औरतों के लिए ऐहकाम 40
15. हाजते असलियह क्या है? 41
16. कर्जदारों के लिऐ हुक्म 41
17. कुरबानी जिस पर वाजिब हो उसी के नाम से की जाए 42
18. बालिग बच्चे या बीवी के वाजिब अदा करने के लिए उनकी इजाजत जरूरी 42
19. कुरबानी का वक्त 42
20. कुरबानी के जानवर 43
21. जानवर की उम्र और उसकी पहचान 44
22. कुरबानी के शरीक 45
23. कुरबानी के शरीकों में हरगिज बदमजहब शामिल नह किए जाएं 45
24. हजामत व नाखुन नह कटवाएं 46
25. कुरबानी के जानवर में अकीकह करना जाइज है। 46

JANNATI KAUN?

26. कुरबानी हर साल वाजिब है 46
27. किसी के इन्तिजार में कुरबानी मुलतवी करना जाइज नहीं 46
28. निहायत कीमती जानवर की कुरबानी के बजाए ज़्यादह वाजिब अदा करना चाहिए। 46
29. जानवर अपने हाथ से जिबह करना चाहिए 47
30. कुरबानी का गोश्त और उसकी तक़सीम 47
31. काफ़िरों को गोश्त देना ,खिलाना मनअ है 48
32. हदयह वापस नह करना चाहिए 48
33. कुरबानी की खाल 49
34. अपना पालतू जानवर कुरबान करने की हिकमत 50
35. बदमजहबों का ज़बीहह हराम और मुरदार है। 52
36. रोजमर्रह के गोश्त में भी हलाल, हराम, देखना लाजमी है 52
37. आजमीने हज मुतवज्जेह हों 53
38. कुरबानी का तरीकह 53
39. नमाजे ईदे-अजहा 55
40. तक्बीरे तशरीक 56
41. तरकीबे नमाज 56
42. नामफ़रमानों को तंबीह 57
43. मुनकिरीन के शुबहात 57
44. मुनकिरीने कुरबानी के शुबहात का इजालह 60
45. नाफ़रमानों की सुहबत से बचना लाजिमी है 63
46. कुरबानी के मफ़हूम को एक बार फिर समझिए 63
47. अहम हिदायात का ख़ुलासह 64
48. ऐ बेख़ौफ़ कौमे मुस्लिम 67
49. फ़रयाद 68
50. काम की बातें 70

JANNATI KAUN

तुम पेह करोड़ों दुरूद

कअबे के बदरुद्दुजा तुम पेह करोड़ो दुरूद
तैबह के शमशुद्दुहा तुम पेह करोड़ों दुरूद

शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पेह करोड़ों दुरूद
दाफ़ए जुमलह बला तुम पेह करोड़ों दुरूद

ज़ात हुई इन्तिख़ाब वस्फ़ हुए लाजवाब
नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पेह करोड़ों दुरूद

और कोई ग़ैब क्या तुमसे निहां हो भला
जब नह ख़ुदा ही छुपा तुम पेह करोड़ों दुरूद

वह शबे मेअ़राज राज वह सफ़े महशर का ताज
कोई भी ऐसा हुआ तुम पेह करोड़ों दुरूद

ख़ल्क़ के हाकिम हो तुम रिज़्क़ के क़ासिम हो तुम
जो मिला तुम से मिला तुम पेह करोड़ों दुरूद

क्यूं कहूं बेकस हूं मैं क्यूं कहूं बेबस हूं मैं
तुम हो मैं तुम पर फ़िदा तुम पेह करोड़ों दुरूद

गरचे हैं बेहद कुसूर तुम हो अ-फ़्वव ग़फ़ूर
बख़्श दो जुर्म व ख़ता तुम पेह करोड़ों दुरूद

दिल करो ठंडा मेरा वह कफ़े पा चांद सा
सीनेह पेह रख दो ज़रा तुम पेह करोड़ों दुरूद

काम वह ले लीजिए तुम को जो राज़ी करे
ठीक हो नामे **रज़ा** तुम पेह करोड़ों दुरूद

JANNATI KAUN?

मुफ़ीद ज़हमत

उर्दू जुबान की रूह उसका तलफ्फुज़ है। उर्दू जुबान को उस के असल तलफ्फुज़ के साथ हिन्दी जुबान में लिखना निहायत मुश्किल काम होता है जिसमें नुक़्ते बहुत अहम रोल अदा करते हैं। मअमूली ग़लती अलफ़ाज़ के मअनी तबदील होने का सबब बन जाती है। मिसाल के तौर पर "नहर" के मअनी सिंचाई करने वाली "नहर" से हैं, अगर नहर में "ह" पर नुक़्तह लगा दिया जाए तो "नहर" के माअनी "कुर्बानी" होंगे। इसी तरह जलील के "ज" पर नुक़्तह लगाने से ज़लील पढ़ा जाएगा तो ऐसा महसूस होगा कि मूह से फूल नहीं पत्थर गिर रहे हैं। वग़ैरह वग़ैरह।

"अनजुमन तहफ़्फ़ुज़े ईमान" अपनी हिन्दी इशाअतों में उर्दू का विक़ार और उसकी रूह "तलफ्फुज़" क़ाइम रखने की हत्तलइमकान कोशिश में अलफ़ाज़ का असल तलफ्फुज़ बरक़रार रख रही है। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हिन्दी पढ़ने वाले वह लोग जो उर्दू से वाक़फ़ियत नहीं रखते, उर्दू से भी वाक़फ़ियत हासिल कर सकेंगे। अनजुमन की किताबें पढ़ने वाले हज़रात ऐसे अलफ़ाज़ को हिज्जे की ग़लतियाँ (SPELING MISTAKES) तसव्वुर नह करें। जिस तरह उर्दू में كعبه लिखा जाता है लेकिन बोलने मे **काबा** निकलता है इसी तरह इसे हिन्दी में **कअबह** लिखा जायेगा और बोलने में **काबा** निकलेगा। बोलने में कुछ भी कहा जाए लेकिन लिखने में हिज्जे के खिलाफ़ लिखना अुसूलन ग़लत है। अनजुमन की इन काविशों में जनाब ज़फ़र साहब जैन कम्प्यूटर शहामतगंज, बरेली शरीफ़ का तआवुन क़ाबिले सताइश है।

क़ारईन (पढ़ने वाले) हज़रात को अनजुमन की किताबें पढ़ने में जो ज़हमत उठाना पड़ेगी अनजुमन की हौसलह अफ़ज़ाई की बाइस होगी। उनकी सहूलत के लिए इसतिलाहात यअनी मुरादी मअनी (CONVENTIONAL ALPHABATES) की फ़ैहरिस्त पेश की जा रही है।

इस्तिलाहात

(मुरादी मअ़नी)

अ	ا	ब	ب	प	پ	त	ت
ट	ٹ	स	ث	ज	ج	च	چ
ह	ح	ख	خ	द	د	ड	ڈ
ज	ذ	र	ر	ज	ز	स	س
श	ش	स	ص	स्व	ص	द	ض
त	ط	ज	ظ	अ	ع	ए	اِ، اِے
ई	عِی	ग	غ	फ़	ف	क़	ق
क	ک	ग	گ	ल	ل	म	م
न	ن	व	و	ह	ھ	अ्	ء
य	ی، ے	इ	ئِ	ए	ئع، ئے	ऐ	ئے
ए	ئع	ऐ	اَے	ऊ	عُو	आ	اَع
एअ	اِع	उ	عُ	ऐ	عے	नः	اَ
ऊ	ؤ	औ	ؤ	ओ	ؤ	उ	اُ

इसमें जुरूरत के मुताबिक़ इज़ाफ़ह किया जा सकता है।

उर्दू सीखिये

जिस क़ौम की जुबान खत्म हो जाती है वह क़ौम मुरदह हो जाती है। लेकिन :–

उर्दू की सनदें नक़ल से हासिल करना तबाहकुन है इस तरह उर्दू टीचर बनना क़ौम के बच्चों के साथ धोकह करना है और तनख़्वाह हराम

नमाज़ व कुरआन हिन्दी किताबों से हरगिज़ याद नह करें कि अरबी जुबान हिन्दी जुबान मे लिखना मुमकिन नही। ग़लत याद कर लेने पर हमेशह गुनेहगार होते रहेंगे।

कुरआन गलत पढ़ने से न पढ़ना बेहतर है

JANNATI KAUN?

अन्जुमन तहफ़्फ़ुज़े ईमान

नूरी मसजिद, एजाज़ नगर, पुराना शहर, बरेली शरीफ़

सरपरस्त – हज़रत डाक्टर सय्यद शाह मुहम्मद अमीन मियां साहब सज्जादह नशीन ख़ानकाहे आलियह बरकातियह मारहरा शरीफ़, प्रोफ़ेसर अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, अलीगढ़।

सदर – हज़रत अल्लाहमह मुफ़्ती सय्यद कफ़ील अहमद हाशमी साहब, मरकज़ी दारुलइफ़्ता जामिअह रज़वियह मनज़रे इस्लाम, बरेली शरीफ़

सेक्रेट्री – इन्जीनियर हसन सईद खां

अग़राज़ व मक़ासिद

1. मिल्लते इस्लामियह को आलमे ग़फ़लत से आलमे बेदारी में लाने की कोशिश करना।
2. इल्मे दुनया के साथ इल्मे दीन हासिल करने की अहमियत से रूशनास कराना, इलम की रग़बत पैदा करना और बुनयादी दीनी व अंग्रेज़ी तअ़लीम की मुफ़्त फ़राहमी के लिए "अरबी–इंग्लिश स्कूल" क़ाइम करना।
3. इल्म के साथ अमल की तरग़ीब देना। नमाज़ और दीगर फ़राइज़ वग़ैरह सिखाना उनका पाबंद बनाना।
4. मुहब्बते रसूल और उसवह–ए–रिसालत के तहत अख़लाक़े हसनह और फ़लाहेमिल्लत के मुख़्तलिफ़ गोशोंसे और रूहेईमान से रूशनास करना।
5. ईमान की अहमियत और उसको दरपेश ख़तरात से मुसलमानों को आगाह करना और उसकी हिफ़ाज़त की जानिब मुतवज्जह करना।
6. इस्लाम और मुसलमानों पर असर अन्दाज़ होने वाले हालात पर निगाह रखना, उन से मुसलमानों को आगाह करना और उन के तदारुक की कोशिश करना।
7. इस्लामी अदालत के क़्याम के तहत उलमा–ए–किराम की सरबराही में "दारुलफ़ैसलह" क़ाइम करना, जिस से मुसलमानों को निकाह तलाक़ वग़ैरह जैसे तमाम मसाइल पर निहायत कम ख़र्च फ़ैसले फ़राहम किए जा सकें।

JANNATI KAUN?

محترم سرپرست کے تاثرات

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فقیر برکاتی نے انجمن تحفظ ایمان کے اغراض و مقاصد کا بغور مطالعہ کیا۔ میں ان سے متفق ہوں اور اسکی ہر طرح سے اعانت کے لئے تیار ہوں۔

برادر طریقت انجینئر حسن سعید خان صاحب کے لئے دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے اس بار عظیم کو اٹھانے کا عزم کیا ہے۔

برادرم سید کفیل احمد ہاشمی صاحب کے زیر نگرانی انجمن ہذا دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ایسی امید کامل ہے۔

آپ تمام حضرات سے خصوصاً علمائے کرام سے درخواست ہے کہ اس انجمن سے ہر طرح کا تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں فرماتا۔ وما علینا الا البلاغ

نسیم احسن

۱۷ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ
۱۲ مئی ۲۰۰۱ء

ڈاکٹر سید شاہ محمد امین قادری
سجادہ نشین۔ درگاہ
برکاتیہ، مارہرہ مطہرہ

JANNATI KAUN?

अपील

हज़रत अ़ल्लामह

तह़सीन रज़ा ख़ाँ साह़ब

शैख़ुलहदीस़ जामिअ़ह नूरिया

बरेली शरीफ़

मुसलमान ''अन्जुमन तह़फ़्फ़ुज़े ईमान'' का तआ़वुन करें और मदरसे क़ाइम करने और उनमें तअ़लीम ह़ासिल करने की जानिब मुतवज्जेह हों।

JANNATI KAUN?

TEST AND TRUST A.T.I.

CO-OPERATE WITH YOUR DONATIONS

गुज़ारिश

अह्ले ख़ैर ह़ज़रात अपने अ़तियात से अन्जुमन की मदद करें, अन्जुमन के किताबचे ख़रीदकर मुफ़्त तक़सीम करें, मुसलमानों को बेदार करने का अपना फ़र्ज़ अदा करके सवाबे दारैन ह़ासिल करें।

अनजुमन तहफ़्फ़ुज़े ईमान

Anjuman Tahaffuz-E-Iman

की

किताबें पढ़िए

1. खुशबू–ए–मुस्तफ़ा
   (उर्दू, हिन्दी)
2. फ़लाहे मिल्लत
   (उर्दू)
3. दअ़वते इस्लामी से परहेज़ क्यूं?
   (उर्दू)
4. इल्मे दीन की फ़ज़ीलत
   (उर्दू, हिन्दी)
5. दअ़वते इसलामी के क़दम वहाबियत की जानिब क्यूं?
   (उर्दू, हिन्दी)
6. दस्तूरे हज
   (उर्दू, हिन्दी)
7. क्या ताज़ियहदारी हराम है? (हिन्दी)

JANNATI KAUN?

अपने ईमान की हिफ़ाज़त कीजिए कि ख़ातिमह बिल ईमान ही जन्नत की ज़मानत है

फ़ितनह–ए
दअ़वते इसलामी
(हरी पगड़ी)
के मुतअ़ल्लिक़

हज़रत अ़ल्लामह अख़तर रज़ा ख़ाँ साहब अलअज़हरी

जानशीने मुफ़्ती–ए–आज़म हिन्द

के फ़तवे की फ़ोटो कापी

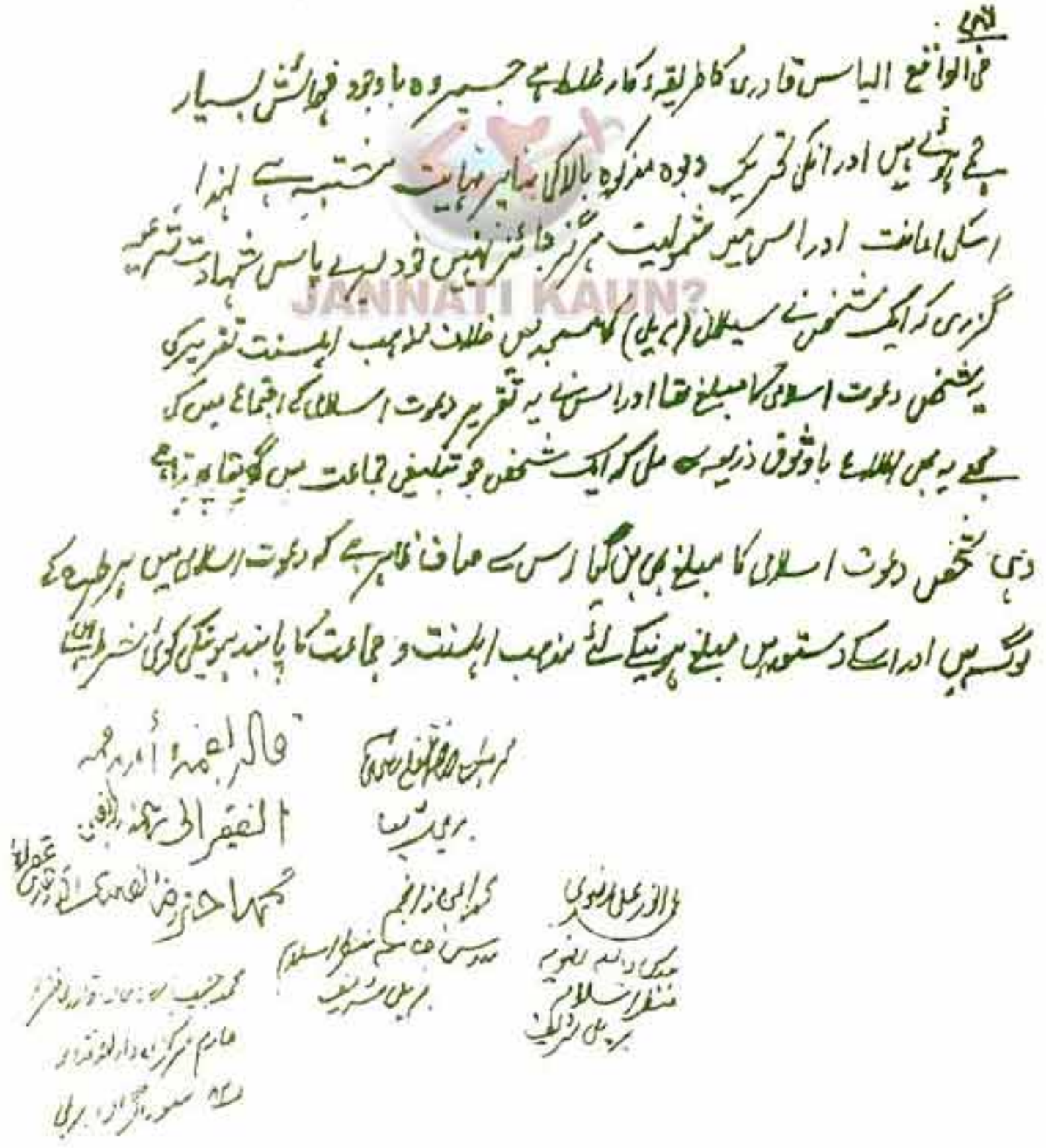

فی الواقع الیاس قادری کا طریقہ کار مخلط ہے جس میں وہ باوجود فہمائش بسیار
بچے ہوئے ہیں اور انکی تحریک دعوہ مذکورہ بالا کی بنا پر نہایت مشتبہ ہے لہذا
اسکی اعانت اور اس میں شمولیت ہرگز جائز نہیں خود میرے پاس شہادت شرعیہ
گزری کہ ایک شخص نے سیتاپور (بریلی) کی مسجد میں خلاف مذہب اہلسنت تقریر کی
یہ شخص دعوت اسلامی کا مبلغ تھا اور اس نے یہ تقریر دعوت اسلامی کے اجتماع میں کی
مجھے یہ بھی اطلاع باوثوق ذریعہ سے ملی کہ ایک شخص جو تبلیغی جماعت میں گشت کرتا ہے
وہی شخص دعوت اسلامی کا مبلغ بھی بن گیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی میں ہر طرح کے
لوگ ہیں اور اسکے دستور میں مبلغ ہونیکے لئے مذہب اہلسنت و جماعت کا پابند ہونیکی کوئی شرط نہیں

JANNATI KAUN?

फ़तवे का तरजुमह

फ़िल वाक़ेअ इलयास क़ादरी का तरीक़े कार ग़लत है जिस पर वह बावजूद फ़हमाइशे बिसयार जमे हुए हैं और उनकी तहरीक निहायत मुशतबह है। लिहाज़ा इसकी एआनत और उसमें शमूलियत हरगिज़ जाइज़ नहीं। खुद मेरे पास शहादते शरअीयह गुज़री किह एक शख़्स ने सौदागरान (बरेली) की मसजिद में खिलाफ़े मज़हबे एहले सुन्नत तक़रीर की,यह शख़्स दअवते इसलामी का मुबल्लिग़ था और उसने यह तक़रीर दअवते इसलामी के इजतिमाअ में की है। यह भी इत्तिलअ बावुसूक़ ज़रिअेह मिली किह शख़्स जो तबलीग़ी जमाअत में घूमता फिरता है वही शख़्स दअवते इसलामी का मुबल्लिग़ भी बन गया। इस से साफ़ ज़ाहिर है किह दअवते इसलामी में हर तरह के लोग हैं और इसके दसतूर में मुबल्लिग़ होने के लिए मज़हबे एहले सुन्नत व जमाअत का पाबंद होने की कोई शर्त नहीं।

JANNATI KAUN?

दस्तख़त

बावजूद फ़हमाइशे बिसायार	–	बे इन्तिहा समझाने के बावजूद
मुशतबह	–	शुबेह वाली
एआनत	–	मदद करना
शमूलियत	–	शामिल होना
शहादते शरअीयह	–	शरअई शहादत
बा वुसूक़	–	बा–एतबार

ए ब्राद्राने इस्लाम

मसअलों से मोड़कर मुंह कब तलक बैठोगे तुम
कोई भी तूफ़ां तुम्हें घर से उठा ले जाएगा

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

पेश लफ्ज

इस्लाम दीने फ़ितरत है। इस्लाम का कोई रूक्न ऐसा नहीं जो उसूले फ़ितरत के मुताबिक़ नह हो और उसमें इनसानों की बेहतरी के रुमूज़ व असरार पोशीदह न हों। दीनी अरकान की हक़ीक़त का इल्म इबादतों में लज़्ज़त पैदा कर देता है और लज़्ज़त से इख़लास पैदा होता है जो जज़बए उ़बूदियत (बन्दिगी) का मज़हर है और इबादतों का जौहर, जिसके बग़ैर कोई इबादत क़ाबिले कुबूल नहीं।

मिल्लते इस्लामियह अरसए दराज़ से इलमे दीन हासिल करने की जानिब से ग़फ़लत में है। इल्मे दीन से महरूमी, दीनी अरकान की हक़ीक़तों और उनकी पुर ख़ुलूस सहीह अदाएगी, से महरूमी का बाइस है। वह अपने नाक़िस इल्म व अक़्ल के मुताबिक़ मनमाने ढंग से दीनी अरकान की अदाएगी गाहे ब गाहे करते रहते हैं। यही सबब है किह उनकी इबादतों के असरात उन पर मुरत्तब होते नहीं दिखाई देते। वह उनके फायदों से दुनया में भी महरूम रहते हैं और आख़िरत की फ़िक्र किसे है। दीनी उमूर (काम) रसूमात की शक्ल इख़्तियार कर चुके हैं और मुसलमान जज़बए अनदरूं और रूहे इस्लाम से खाली किसी रोबोट (ROBOT) (मशीनी मुजस्समह) से ज़्यादह कुछ नज़र नहीं आते। जो लाशऊरी तौर पर (हाज़िर दिमाग़ी के बिना) अपने अरकाने दीन अनजाम देते रहते हैं, नह उनकी नमाज़ें, रोज़े दुरुस्त नज़र आते हैं नह ज़कात व हज की अदाएगी। उनकी अख़लाक़ी पसती अपनी हुदूद को पार कर चुकी है और इनतिहा यह है किह ईमान की सलामती ख़तरों से दोचार है लेकिन उनको इसका एहसास तक नहीं। नहीं कहा जा सकता किह उनका शुमार एहले ईमान में होता

JANNATI KAUN?

भी है या नहीं?

कुरबानी एक माली इबादत है जो अल्लाह तआ़ला को बहुत पसंद है। मअ़लूमात की कमी की वजह से दूसरे अरकान की मानिंद यह रुक्न भी कमियों ख़राबियों से महफ़ूज़ नहीं रह सका। बदमज़हबों, यहां तक किह ग़फ़लत में काफ़िरों तक से जानवर ज़िबह कराना, ग़रीबों का हक़ अदा नह करना, ग़ैर मुसलिमों को कुरबानी का गोश्त खिलाना, कुरबानी के ख़र्च को बोझ समझना और अपनी हैसियत के मुताबिक़ अच्छे जानवरों की कुरबानी नह करना या नाम व समूद (दिखावा) के लिए क़ीमती जानवर ज़िबह करना जैसी बुराइयां इस दीनी फ़रीज़े में भी शामिल हो चुकी हैं।

मिल्लते इस्लामियह की इस हालते ज़ार के पेशेनज़र उनकी रहनुमाई के लिए अनजुमन तहफ़्फ़ुज़े ईमान" अपनी इशाअ़त "अब तो जाग मुसलमां" सीरीज़ की पांचवीं क़िस्त "कुरबानी क्यूं और कैसे" शाए करने की सआ़दत हासिल कर रही है। इसमें कुरबानी की हक़ीक़त, उसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद के साथ ग़लत रसूमात की निशान देही की गई है।

JANNATI KAUN?

अल्लाह तबारक व तआ़ला हबीबे अकरम स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के स़दक़े में अनजुमन की इस काविश को कुबूल फ़रमाकर इसे उम्मते मुसलिमह के लिए इस़लाह का ज़रिअ़ह बनादे।

आमीन, बजाहि सय्यदिल मुरसलीन स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम।

हसन सईद ख़ाँ

सेक्रेटरी अनजुमन तहफ़्फ़ुज़े ईमान

अहले सादात का मक़ाम

JANNATI KAUN?

ऐहले सादात का मकाम

नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है :–

1. जो शख़्स आले मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मुहब्बत पर मरा वह :–
   - **A.** मसलके ऐहले सुन्नत व जमाअत पर मरा
   - **B.** उसने शहादत पाई
   - **C.** उसके गुनाह बख़्श दिए गए
2. जो शख़्स आले मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के बुग़्ज़ व दुश्मनी पर मरा वह :– काफ़िर मरा

अल्लाह की रज़ा और उसके महबूब की खुशनूदी हासिल करना चाहते हो तो इताअते रसूल के साथ, रसूल की, रसूल के ऐहले बैत की और रसूल की आल (ऐहले सादात) की सच्ची पक्की मुहब्बत पैदा करो किह उनकी मुहब्बत शफ़ाअत व मग़फ़िरत की ज़ामिन (ज़मानत देने वाली) है। ग़रीबों, मिसकीनों, बेवाओं से मुहब्बत रखो और उनका हक़ अदा करो किह वह रसूल को महबूब हैं।

JANNATI KAUN?

क्या इस क़द्र सस्ता सौदा भी कुबूल नहीं ?

कुरबानी क्यों? और कैसे?

JANNATI KAUN?

कुरबानी का मफ़हूम

ऐ मुसलमां सुन यह नुकतह दरसे कुरआनी में है
अज़मते इस्लाम व मुस्लिम सिर्फ़ कुरबानी में है।

यह शेअ्र इस्लाम की हक़ीक़ी तस्वीर पेश कर रहा है। इसमें क्यूंकिह मुसलमानों और इस्लाम दोनों की अज़मत को कुरबानी से तअबीर किया गया है इसलिए यहां कुरबानी का मतलब सिर्फ़ जानवर की कुरबानी से नहीं बलकिह यहां कुरबानी का मफ़हूम यह है किह मुसलमानों को अपनी ज़िन्दगी के तमाम मरहलों में अपने नफ़्स को कुरबान करते हुए अच्छे आमाल व अख़लाक़ को अपनी ज़िन्दगी का जुज़ बना लेना चाहिए। जो देखे, जिससे वास्तह पड़े वह पुकार उठे "यह मुसलमान है।" नफ़्स की कुरबानी ही अल्लाह व रसूल की ख़ुशनूदी और कुरबत हासिल होने का ज़रिअह बनती है। जिसे अल्लाह व रसूल की ख़ुशनूदी व कुरबत हासिल हो उसी को अज़मत व बुलंदी हासिल होती है और मुसलमानों की अज़मत इस्लाम की अज़मत की अलमबरदार बन जाती है पहचान बन जाती है। आज मुसलमान नफ़्स की कुरबानी के बजाए उसकी पैरवी और अपनी बदआमालियों के सबब ज़माने की नज़रों में बेवुक़अत बे–विक़ार हो चुका है इसीलिए इस्लाम की अज़मत व विक़ार भी अक़वामे आलम के दिलों में बाक़ी नहीं रही।

मुसलमान की ज़िन्दगी इबादत और अख़लाक़े हसनह का मजमूअह है

इबादतों का जाइज़ह लें तो नमाज़, रोज़ह, ज़कात व हज तमाम अरकान में कुरबानी का उ़नसुर (असल हिस्सह) नुमायां नज़र आता है। नमाज़ों में – वक़्त, नींद व आराम की कुरबानी के साथ रोज़ी और दुनयावी ख़ास ज़रूरियात की कुरबानी है। रोज़े पर ग़ौर करें तो इन कुरबानियों के

साथ भूख व प्यास और दीगर हलाल चीजों की कुरबानी है। जकात में माल और हज में माल के साथ वक्त, आराम, रोजी और दीगर दुनयावी जरूरियात की कुरबानी नुमायां है।

जिन्दगी के दूसरे रुख़ पर नज़र डालें तो अख़लाक़े हसनह में उख़ुव्वत (भाई चारा) को सब से बुलंद मक़ाम हासिल है जिसको इस्लामी मुआशरे की जान कहा जाता है जिस के मुतअल्लिक़ सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है:–

''अपने मुसलमान भाई के लिए वही बात पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो और वह बात नापसंद करो जो अपने लिए नापसंद करते हो''

गौर करें तो देखेंगे किह उख़ुव्वत कुरबानियों का मजमूअह है इसमें अपने भाई की ख़्वाहिशों और जरूरतों पर अपनी ख़्वाहिशें और जरूरतें कुरबान करना पड़ती हैं। मुआमलह चाहे भूख व प्यास का हो या लिबास का, माल व दौलत का हो या इज्जत व विकार का, यहां तक किह अपनी जिन्दगी को भी अपने मुसलमान भाई की जिन्दगी पर कुरबान कर देना पड़ता है। इस जिमन में हजरत जुनैद बगदादी और जंगे बद्र में जख़्मी जां ब–लब सहाबह–ए–किराम के ईसार की मिसालें हमारे सामने है:–

हजरत जुनैद बगदादी अपने जमाने के सबसे बड़े और शाही पहलवान थे। एक निहायत दुबले पतले शख़्स ने हजरत जुनैद बगदादी को पहलवानी में चेलेंज कर दिया। लोग हैरत जदह थे किह दोनों में कोई मुक़बिलह ही नहीं था लेकिन चेलेंज चेलेंज होता है। एक जमानह यह अजीब व गरीब कुशती देखने आया था। खुद बादशाहसलामत भी मौजूद थे। वक्ते मुक़र्ररह पर वह शख़्स आए, अखाड़े में उतरे तो उन्होंने हजरत जुनैद बगदादी से कहा :–

'मैं कोई पहलवान नहीं हूं, एक निहायत गरीब मिसकीन शख़्स हूं और सय्यद हूं मैं इस कुशती में अगर जीत गया तो इनअमात से मेरी

गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हारी कुरबानी के एवज़ महशर में नाना जान (नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से तुम्हारी शफ़ाअत का वअदह करता हूँ।

हज़रत जुनैद बग़दादी ने दिखावे के लिए कुछ ज़ोर आज़माई की, कुछ दाव पेंच चले और फिर उस कमज़ोर से शख़्स ने उनहें पछाड़ दिया। देखने वाले हैरत में थे किह यह क्या हुआ। अवाम के गुस्सेह की इन्तिहा नह रही और वह हज़रत जुनैद पर टूट पड़े। किसी ने लातें–घूंसे मारे, किसी ने उनपर थूका। जुनैद बग़दादी यह सब बरदाश्त करते रहे उनको अपने इस अंजाम का एहसास था जिसपर कुरबानी का जज़्बह हावी आया और उन्होंने अपने एक मुसलमान भाई और वह भी आले रसूल की ज़रूरत पर अपनी इज़्ज़त अपना विक़ार अपनी शोहरत सब कुछ कुरबान कर दिया। जिसके एवज़ दरबारे रिसालत से विलायत की नेअमत अता फ़रमाई गई आप मशहूर व मअरूफ़ वली अल्लाह हुए। यह है मोमिन के ईसार की मिसाल, जो बेमिसाल है। हज़रत जुनैद की इस कुरबानी में दो बातें नुमायां हैं। एक मुसलमान भाई के लिए कुरबानी और दूसरी बात आले रसूल की मुहब्बत व फ़रमाबरदारी जो ख़ातिमह बिल ईमान की ज़मानत है।

मुसलमान भाई पर अपनी ज़िन्दगी कुरबान करने की मिसाल जंगे बद्र में मिलती है। आप ने यह सबक़ आमोज़ वाक़ेअह ज़ुरूर सुना होगा।

मैदाने जंग में निहायत ज़ख़्मी हालत में जां ब–लब कुछ सहाबह प्यास की शिददत में पानी के इन्तिज़ार में हैं। एक सहाबी पानी लाते हैं। जब वह एक प्यासे सहाबी के मुंह को पानी का प्याला लगाते हैं तो दूसरे प्यासे सहाबी की पानी मांगने की आवाज़ आती है। यह सहाबी अपने मुंह से पानी का प्याला हटा देते हैं और फ़रमाते हैं :–

''पहले उन भाई को पानी पिलाओ वह मुझ से ज़्यादह प्यासे हैं।''

पानी का प्याला जब दूसरे सहाबी अपने मुंह से लगाते हैं तीसरे की आवाज़ आती है। यह भी अपना प्याला तीसरे सहाबी को भेज देते हैं यहां

तक किह प्यासे सहाबियों में से कोई भी पानी नहीं पीने पाता और उन सब की रूहें परवाज़ कर जाती हैं। यह उसी ईसार के नमूने हैं जिसका दर्स नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरह हदीसे पाक में दिया है :-

"अपने मुसलमान भाई के लिए वही बात पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो और वह बात नापसंद करो जो अपनेलिए नापसंद करते हो"

अपने भाई के लिए ईसार की ऐसी मिसाल दूसरी नहीं मिल सकती।

आज का मुसलमान ईसार के जज़्बे से महरूम हुआ तो बात-बात पर आपस में लड़ाई झगड़ा, मुकदमे बाज़ी, क़त्ल व ग़ारतगरी आम हो गई, मुआशरह इन्तिशार का शिकार हो गया दुश्मन कमज़ोर समझ कर उस पर टूट पड़े नतीजा हमारे सामने है तमाम क़ौम दुश्मनों के शिकंजे में "टुक-टुक दीदम, दम नह कशीदम" की तरह फड़फड़ा रही है।

मअलूम हुआ किह मुसलमान की ज़िन्दगी हर लमहह हर पल कुरबानी चाहती है यही कुरबानिया उसकी अज़्मत की ज़ामिन बन जाती हैं और उसकी अज़मत इस्लाम की अज़मत की अलमबरदार बन जाती है। अक़वामे आलम सरनिगू होने (सर झुकाने) पर मजबूर हो जाती हैं।

ऐ ब्रादराने इस्लाम! अगर दोनों जहान में सुरख़ुरूई, अज़मत और विक़ार के ख़्वाहां हो तो अपने भाईयों की ज़रूरतों पर अपनी ज़रूरतों को कुरबान करने की आदत डालो।

हम इस किताब में ईदे-अज़्हा और जानवरों की कुरबानी का ज़िक्र करेंगे जो बेशुमार नेअ़मतों का ख़ज़ानह और सब से बढ़कर अल्लाह और रसूल की ख़ुशनूदी और कुरबत की ज़रिअह है।

इस्लामी साल कुरबानी से शुरूअ़ होता है और कुरबानी पर ख़त्म होता है यअ़नी मुहर्रमुलहराम में हज़रत इमाम हुसैन रदीयल्लाहु अन्हु, और ऐहलेबैते किराम ने मैदाने करबला में कुरबानीयां पेश कीं और ज़िलहिज्जह

JANNATI KAUN?

में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़रज़ंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुरबानी पेश की। दोनों महीनों के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं।

ग़रीब, सादह व रंगीं है दास्ताने हरम
निहायत इसकी हुसैन इबतिदा हैं ईस्माईल

ऐ मुसलमानों! इस्लामी साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। ईसाई वग़ैरह जनवरी में नया साल मनाते हैं। तुम मुसलमान हो जनवरी में नया साल नह मनाया करो। पहली मुहर्रम को नए साल की मुबारकबाद अपने भाइयों को दिया करो। अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

जिसने जिस क़ौम की तरह अपनी ज़िन्दगी गुज़ारी वह उन्ही में से है यअ़नी उसी क़ौम के साथ हश्र होगा।

वालिदैन से मुहब्बत और उनका अदब व एहतराम किया करो, उनकी नाराज़गी से अन्देशह है कि मरते दम कलमह नसीब नह हो।

JANNATI KAUN?

कुरबानी क्या है ?

कुरबानी इस्लाम के पांच सुतूनों में से एक सुतून "हज" के अरकान का एक अहम जुज़ है। अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है:-

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

तरजुमह :- नमाज़ पढ़ो अपने रब के लिए और कुरबानी अदा करो।

इस फ़रमान के मुताबिक़ कुरबानी का हुक्म दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए है इसलिए आज़मीने हज के अलावह तमाम साहिबे निसाब मुसलमानों को अपने-अपने मक़ाम पर ज़िलहिज्जह की 10-11-12 तारीख़ों में कुरबानी करना वाजिब है।

कुरबानी माली इबादत है जो मालदारों पर वाजिब है। ख़ास जानवर को ख़ास दिन अल्लाह तआला के लिए सवाब की नियत से ज़िबह करने का नाम कुरबानी है।

कुरबानी हुक्मे रब्बानी है यअनी वह हुक्म जो अल्लाह तआला ने अपने ख़लील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया था जिसके तहत आपने अपने साहबज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला के हुज़ूर कुरबानी के लिए पेश कर दिया था। उसके बअद वही हुक्म कुरआने पाक में इरशाद फ़रमाया गया:-

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

यअनी नमाज़ पढ़ो अपने रब के लिए और कुरबानी अदा करो।

अल्लाह तआला को कुरबानी बहुत पसंद है इस लिए हर उम्मत के लिए मुक़र्रर फ़रमाई गई।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़्वाब

कुरबानी रज़ाए इलाही पर अपनी अज़ीज़तरीन चीज़ कुरबान करने के जज़बहे और इताअत व बन्दगी का मज़हर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुतवातिर तीन रात यही ख़्वाब देखा किह रब्बुलआलमीन

JANNATI KAUN?

कुरबानी तलब फ़रमा रहा है। आप ने दो दिनों तक सौ–सौ ऊंट की कुरबानियां पेश कीं, मगर जब तीसरी रात अपनी अजीज़ तरीन चीज़ कुरबान करने का हुक्म हुआ तो आप समझ गए किह फ़रज़न्दे अरजुमन्द हज़रत इस्माईल की कुरबानी की जानिब इशारह है। चुनान्चे आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पूरा वाक़ेअह सुनाया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया:–

"अब्बाजान ! आपको जो हुक्म मिला है उसे आप बिना ख़ौफ़ व ख़तर पूरा फ़रमाएं। इन्शाअल्लाह आप मुझे साबिर व शाकिर पाएंगे।"

(दौरे हाज़िर के मुसलमान बच्चों का यह आलम है कि वह अपने वालिदैन का मअमूली हुक्म भी मानने पर तय्यार नहीं) *वालिदैन जागें*

अलग़रज़ जब बाप व बेटे दोनों रज़ाए इलाही पर राज़ी हो गए तो बाप ने बेटे को ज़मीन पर पेशानी के बल लिटा कर गले पर छुरी रख दी। सब्र व इसतक़लाल, इताअत व बन्दगी का ऐसा मनज़र चश्मे फ़लक ने इससे पहले कभी न देखा होगा।

JANNATI KAUN?

हुक्मे इलाही की जब दोनों हज़रात ने तअमील कर ली तो अल्लाह तआला ने पुकार कर फ़रमाया :–

أَنْ يَّا إِبْرَاهِيْمُ ۙ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا

यअनी ऐ इब्राहीम ! तूने बेटे को ज़िबह करने के ख़्वाब को सच कर दिखाया अब तुम बेटे को ज़िबह करने के बजाए मेंढ़ा ज़िबह करो और हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से एक मेंढ़ा लाकर जिसका नाम वजीर था छुरी के नीचे रख दिया और हज़रत इस्माईल को उठा लिया।

कुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत व यादगार और हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस्लाम में अकसर आमाल कुरबानी की तरह किसी नह किसी वाक़िअह की याद ताज़ह करते हैं। जिस तरह हज़रत हाजरह रदीयल्लाहु अन्हा अपने लख़्ते जिगर

सय्यदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में सफ़ा और मरवह पहाड़ियों के बीच दौड़ी थीं खुदावंदे कुद्दूस को आप की यह अदा इतनी अच्छी लगी किह क़यामत तक के लिए वही तरीक़ह हाजियों के लिए सफ़ा, मरवह की "सअई" की शक्ल में लाज़िम क़रार दे दिया। इसी तरह सय्यदना हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहुमाअस्सलाम का जज़बए इताअत व बन्दगी और कुरबानी इतना पसन्द आया किह क़यामत तक के लिए उस को हमेशगी बख़्श दी। नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दो मेंढ़ों को ज़िबह फ़रमाकर इस अज़ीम यादगार व सुन्नत को अपनी उम्मत के लिए लाज़मी क़रार दे दिया। इसलिए अब इस अमल कुरबानी में सुन्नते ख़लीलुल्लाह और सुन्नते हबीब उल्लाह दोनों की अदायगी है।

कुरबानी उम्मते मुहम्मदया का फ़ख़्र व इमतियाज है

पिछले दौर की उम्मतों में कुरबानी के ज़िबहशुदह जानवरों को एक कुदरती आग ज़ाहिर होकर जला डालती थी। इस तरह कुरबानियों के मक़बूल और ग़ैर मक़बूल होने की यही पहचान थी। बाइबिल में भी यही तज़करह मिलता है। अल्लाह तआला ने निज़ामे मुस्तफ़ा में उम्मते मुहम्मदया को जो निज़ामे कुरबानी अता फ़रमाया उसमें दो अहम हिकमतें हैं। एक तरफ़ मुसलमान जानों का नज़रानह बारगाहे रब्बुलआलमीन में पेश करते हैं, दूसरी जानिब गोश्त का तोहफ़ह अपने मुसलमान भाईयों में तक़सीम करते हैं।

कुरबानी अल्लाह और रसूल की ख़ुशनूदी व कुरबत का ज़रियह है

मुसलमान इस माली इबादत के ज़रिये इताअत व बन्दगी का इज़हार करते हैं जिस से अल्लाह और उसके रसूल की खुशनूदी और कुरबत हासिल होती है और बेशुमार नेअमतों बरकतों से नवाज़े जाते हैं।

कुरबानी रिश्तए उख़ुव्वत (भाईचारा) और जज़्बए ईसार (दूसरे की जुरूरतों पर अपनी जुरूरतें कुरबान कर देना) की मज़बूती और गुरबा व मसाकीन की ख़बर गीरी का नाम है।

रिश्तए उख़ुव्वत की मज़बूती और गुरबा नवाज़ी निज़ामे मुस्तफ़ा के अहम अजज़ा (हिस्से) हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है :–

''तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं''।

इस रिश्तए उख़ुव्वत को जोड़ने और उसके मज़बूत करने के लिए आपने फ़रमाया :–

''अपने भाई के लिए वही बात पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो और वह बात ना पसंद करो जो अपने लिए नापसंद करते हो।''

अपने मुसलमान भाई को सलाम करने का हुक्म, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दीगर मुतअल्लेक़ीन को तोहफ़े देने का हुक्म, एक पलेट में एक साथ खाने का हुक्म वग़ैरह आपस में मुहब्बत पैदा करने और रिश्तए उख़ुव्वत मज़बूत करने के लिए सादिर फ़रमाए । इस के बर ख़िलाफ़ क़तअ रहमी यअनी रिश्ता कमज़ोर करने या तोड़ने वालों के मुतअल्लिक़ अल्लाह तआला ने फ़रमाया:–

जो तुझे (रिशता) मिलाएगा मैं उसे मिलाऊंगा जो तुझे (रिशता) काटेगा मैं उसे काटूंगा (बुखारी)।

सिलह रहमी वाजिब और क़तअ रहमी हराम है। नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ते तोड़ने या कमज़ोर करने वालों को सख़्त तंबीह करते हुए फ़रमाया'':–

''जिसको अपने भाई का ग़म नहीं वह मेरी उम्मत से नहीं''

निज़ामे मुस्तफ़ा में उख़ुव्वत के इन मक़ासिद को हासिल करने के लिए कुरबानी को भी ज़रिअह बना दिया गया। हुक्म हुआ किह कुरबानी के गोश्त के तीन हिस्से करो। एक – ग़रीब, मिसकीन और फ़क़ीरों के लिए, दूसरा अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए और बाक़ी एक अपने ऐहल व अयाल

के लिए रखो जिससे रिश्तए उख़ुव्वत मजबूत हो और हाजतमन्दों की हाजत पूरी हो।

कुरबानी जज़बए रूहानी की जिला (रौशन करने) का जरियह है।

इनसान का सीनह हविस और ईसार से भरा हुआ है। हविस एक हैवानी जज़बह है जिससे खुदगरज़ी पैदा होती है। जिस तरह एक हैवान सिर्फ़ अपना पेट भरने के लिए दूसरे का ख़ून कर देता है और उसे कोई अफ़सोस नहीं होता। इसी तरह इनसान भी अपनी ख़्वाहिशात पूरी करने के लिए दूसरों की तमन्नाओं का खून कर देता है और उसे अफ़सोस नहीं होता। इसके बर ख़िलाफ़ ईसार (कुरबानी) एक मलकूती (फ़रिश्तों जैसा) जज़बह है जिसके तहत वह अपनी जुरूरियात पर अपने भाइयों की जुरीरियात को तरजीह देता है।

अगर एक क्यारी में दो पौदे गिज़ा हासिल करते हों तो एक पौदे को काट देने से दूसरा ज़्यादह गिज़ा हासिल कर सकता है। इसी तरह इनसान के दो जज़बों में से अगर जज़बए हविस को ख़त्म कर दिया जाए तो जज़बए ईसार बढ़ जाएगा जिसकी बदौलत इनसान में मलकूतियत (फ़रिशतों जैसी सीरत) और रूहानियत रौशन हो जाएगी।

कुरबानी करने से मुसलमानों को यह मौक़अ मिलता है उनका जज़बए ईसार उनके जज़बए खुदगरज़ी पर छुरी फेर देता है। इस तरह उनकी रूहानियत को जिला मिलती है।

कुरबानी जिहाद की तरबियत (TRAINING) का जरिअह है

इस्लाम का हर फ़र्द फ़ितरतन सिपाही होता है और वह उसे मुख़तलिफ़ तरीक़ों से हर साल जिहाद की तरबियत देता है। इस्लाम ने साल में एक बार एक जानवर की कुरबानी का हुक्म दिया ताकिह ज़ाहिरी तौर पर उसका गला काटने से मुसलमान के अन्दर जुर्रत, वलवला और

ख़ाक़ व ख़ून का मनज़र देखने की हिम्मत पैदा हो। काफ़िरों मुशरिकों का मुह़सबह व मुक़ाबलह वही शख़्स कर सकता है जो अपनी ज़िन्दगी में कभी ख़ाक व ख़ून से खेल चुका हो। जो शख़्स एक जानवर को ज़िबह करने से भी डरता हो उससे जिहाद करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जानवरों की कुरबानी के ज़रिए इस्लाम अपने फ़रज़नदों को समझाता है किह जिस त़रह अल्लाह की रज़ा के लिए तुम आज इस जानवर का खून बहा रहे हो, कल इसी त़रह ख़ुदा के नाम की सरबुलन्दी के लिए तुम को ख़ुद अपना लहू पेश करना है इसलिए:–

यह जुरूरी है किह तमाम मुसलमान कुरबानी के जानवरों को अपने हाथ से ज़िबह करें जिससे उन के दिलों से ख़ौफ़, झिझक निकल जाए और जुर्रत व वलवलह पैदा हो ताकिह वक़्ते जुरूरत काम आए। जुर्रत व हिम्मत, जोश व वलवलह ही मुसलमान की ज़िन्दगी का एक अहम ज़ेवर है। यह नह हो तो रोबोट (मशीनी इन्सान) के अलावह कुछ भी नहीं। इसी की मज़ीद तफ़सील आगे देखिए।

अब तक की गुफ़्तगू की ख़ुलासह यह है किह कुरबानी मुसलमानों में:–

1. **शुजाअत व बहादुरी पैदा करती है।**
2. **हिम्मत की बुलन्दी, अज़्म की पुख़्तगी पैदा करती है।**
3. **सब्र व इसतक़लाल (मुसतक़िल मिज़ाजी); तसलीम व रज़ा का दर्स देती है।**
4. **ग़रीबों, बेवाओं, यतीमों की ख़बरगीरी करना सिखाती है।**

और

5. **अल्लाह व रसूल की इत़ाअत व बन्दगी, ख़ूशनूदी व कुरबत का ज़रिअह बनती है।**

इल्म एक नूर है जो दीन और दुनिया दोनों की राहों को रौशन कर देता है।

कुरबानी के फ़ज़ाइल व फ़वाइद

कुरबानी दीने इस्लाम की एक अ़ज़ीम निशानी है जिसे ज़बरदस्त अहमियत व फ़ज़ीलत हासिल है इससे मुसलमानों को अहम फ़ायदे हासिल होते हैं:–

कुरबानी के फ़ज़ाइल व फ़वाइद के सिलसिले में हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के फ़रमान यह हैं :–

1. **अल्लाह तआला का पसंदीदह अमल है**

कुरबानी के दिनों में अल्लाह तआला को कुरबानी का खून बहाने से ज़्यादह मुसलमान का कोई अमल (नफ़िल अमल) पसंद नहीं।

2. **ख़र्च किया गया रूपयह सब से प्यारा है**

जो रूपयह ईद की कुरबानी में ख़र्च किया जाता है अल्लाह तआला को उससे ज़्यादह कोई रूपयह प्यारा नहीं। (यह रूपयह हलाल होना लाज़मी है)

JANNATI KAUN?

3. **दर्जए मक़बूलियत**

कुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही बारगाहे इलाही में मक़बूल हो जाता है इसलिए इसे खुशदिली से करना चाहिये।

4. **कुरबानी दोज़ख़ की आग से ढाल है।**

जिसने खुश दिली से सवाब की नियत से कुरबानी की वह दोज़ख़ की आग से ढाल बन जाएगी।

5. **गुनाहों का मुआफ़ किया जाना**

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमह रदीयल्लाहु अन्हा से फ़रमाया

''कुरबानी के जानवर के पास खड़ी रहो, इसलिए किह कुरबानी के जानवर की गरदन से जब खून का पहला क़तरह गिरेगा तो उसके एवज़ तुम्हारे सारे गुनाह (गुनाहे सग़ीरह) मुआफ़ कर दिए

जाएंगे।'' गुनाहे कबीरह बग़ैर तौबह मुआफ़ नहीं होते।

6. **ग़रीबों के लिऐ इनआम**

जो साहिबे निसाब नहीं और उसे कुरबानी की तौफ़ीक़ नहीं, वह भी सवाब से महरूम नह रहे, उस पर अल्लाह तआला ने उसे इस तरह नवाज़ह किह वह अपने बाल, नाखुन और मूंछे कतरवा ले और नाफ़ के नीचे बाल मूंड ले। यह सब करने से उसे कुरबानी का सवाब अता किया जाएगा।

7. **ग़रीबों के लिऐ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत**

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मेंढे मंगवाए। एक मेंढे की कुरबानी अपनी जानिब से की और दूसरे मेंढ़े की कुरबानी करके फ़रमाया:–

इलाही! यह मेरी उम्मत में उनकी तरफ़ से है जिसने कुरबानी नहीं की यअनी उन ग़रीब उम्मतियों की तरफ़ से है जो साहिबे निसाब नह होने के सबब कुरबानी नहीं कर सकते। यह इनआम क़्यामत तक के ग़रीब मुसलमानों के लिए है। ऐ मुसलमानों! अपने प्यारे नबी की मुहब्बत का हक़ अदा करो इस तरह किह एहले बैते किराम और आले पाक से दिली मुहब्बत करो शुकरियह अदा करने का यही वाहिद तरीक़ह है। फ़रमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है:–

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى

तरजुमह:– मैं तुमसे इसका अज्र नहीं मागता मगर क़राबत दारों की मुहब्बत। (यअनी ईमान और दीगर नेअमतें अता फ़रमाने का बदलह कुछ और नहीं सिर्फ़ ऐहले बैत और आले रसूल से मुहब्बत करना)

इससे पता चलता है किह जानवर की कुरबानी किस दर्जह ज़रूरी हैं कोई अमल इसका बदल नहीं हो सकता क्यूंकिह कुरबानी का हुक्म अल्लाह

तआला ने फ़रमाया है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:–

नमाज़ पढ़ो अल्लाह के लिऐ और कुरबानी करो।

इसीलिए हुज़ूर ने अपने ग़रीबों पर रहमत फ़रमाई और उनकी जानिब से कुरबानी पेश कर दी।

8. **अफ़ज़ल कुरबानी कौन सी है?**

कुरबानी वह अफ़ज़ल है किह जिस का जानवर क़ीमत से एतबार से आला और खूब फ़रबेह (मोटा ताज़ह) हो।

9. **अताए मग़फ़िरत**

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमाया :–

"जो शख़्स कुरबानी के दिन अपनी कुरबानी के जानवर के नज़दीक उसके ज़िबह करने के इरादे से पहुंचता है तो अल्लाह तआला उसको जन्नत से नज़दीक कर देता है और जब वह उस को ज़िबह कर देता है तो उसके खून का पहला क़तरा ज़मीन पर गिरते ही अल्लाह तआला उसको बख़्श देता है।"

JANNATI KAUN?

10. **नेकियों का इनआम**

हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया – **"इलाही उम्मते मुहम्मदया में से कुरबानी करने वालों को क्या सवाब मिलेगा।"**

अलाह तआला ने फ़रमाया :–

इसका सवाब कुरबानी के जानवर के हर बाल के एवज़ दस नेकियां मिलेंगी, गुनाह मिटा दिए जाएंगे और उसके दस दरजे बुलन्द किए जांएगे।

हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया:–

जब वह कुरबानी के पेट को चाक करेगा तो उसका क्या सवाब होगा।

अल्लाह तआला ने फ़रमाया :-

जब उस बन्दे की क़ब्र फटेगी तो उसको भूक, प्यास और क़यामत के हौल से महफ़ूज़ करके निकाला जाएगा। कुरबानी के गोश्त व खून को सत्तर (70) दरजह बढ़ा कर मीज़ान में वज़्न किया जायेगा।

11. बलाएं दूर होती हैं

कुरबानियां बलाओं को दूर करती हैं।

12. कुरबानियों के जानवर पुलसिरात् की सवारियां हैं :-

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :-

अच्छे जानवरों की कुरबानी करो, क़यामत के दिन यह तुम्हारी सवारियां होगीं जो पुलसिरात् से गुज़ारेंगी।

ग़ौर से पढ़िए

आप अपने जानवर की कुरबानी, तजदीदे ईमान और इख़लासे नियत यअनी अल्लाह व रसूल की रज़ा व कुर्ब और सवाब हासिल करने की नियत के साथ, अपने हाथ से करें अगर कोई मजबूरी हो तो वहां खड़े ज़ुरूर रहें। तज़दीदे ईमान का तरीक़ह आगे देखें।

रिया यअनी नाम व नमूद और हराम माल हर अमल की तरह कुरबानी को भी मक़बूलियत से महरूम कर देता है और इस क़द्र क़ीमती माली इबादत बरबाद हो जाती है। तफ़सील आगे पढ़ें।

शराइते मक़बूलियत

किसी भी अमल की मक़बूलियत का इनहिसार *3* बातों पर है:-

1. ईमान
2. इख़लासे अमल
3. हलाल माल

1. ईमान

दौरे हाज़िर में, मुसलमानों की इल्मे दीन से महरूमी और माहौल में

कुफ़रियात का ग़लबह, इन सब बातों ने उनके ईमान की सलामती को ख़त्रे में डाल दिया है। एक त्रफ़ इस्लाम के अन्दर नए–नए फ़िरक़ों के पैदा होने और इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करने के सबब ईमान के लिए ख़त्रे पैदा कर दिये हैं, दूसरी जानिब दुशमनाने इस्लाम गुमराहकुन तअ़लीमात के ज़रिअे मुसलमानों के ज़हनों को तबदील (BRAIN WASH) करने की हिकमते अ़मली पर तेज़ी से अ़मल कर रहे हैं जिसके तहत स्कूली किताबों, त्रीक़े तअ़लीम, टी वी, सिनेमा और रेडियो वग़ैरह के ज़रिए हिन्दू मज़हब के प्रचार से माहौल में इस क़द्र कुफ़रियात का तूफ़ान बरपा किया जा रहा है किह मुसलमानों का ईमान पर क़ाइम रहना दुशवार हो गया है।

मुसलमानाने आ़लम दीनी जिहालत के सबब माहौल में फैलती कुफ़रियात की पहचान करने और उनसे अपने ईमान की हिफ़ाज़त करने से मजबूर नज़र आते हैं और हर लमहा यह अनदेशा लगा रहता है किह उनका ईमान सलामत भी है या नहीं? ऐसे अनदेशों की तस्दीक़ इन अहादीसे करीमह से होती है। नबीए करीम स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़रमान है:–

1. कुरबे क़यामत में लोग सुबह को मुसलमान होंगे शाम को काफ़िर हो जाएंगे, शाम को मुसलमान होंगे सुबह को काफ़िर हो जाएंगे।
2. कुरबे क़यामत में मसाजिद नमाज़ियों से भरी होंगी लेकिन उनमें ईमान वाले बहुत कम होंगे।

इन अहादीसे करीमह की रोशनी में यह कहना ग़लत नह होगा किह इस फ़ितनों से भरे दौर में मुसलमानों के रोज़ी रोटी, इज़्ज़त व आबरू, जान व माल की हिफ़ाज़त जैसे बड़े मसअले पीछे रह गये हैं और ईमान की हिफ़ाज़त का मसअलह सबसे बड़ा मसअलह बन चुका है लेकिन वह इससे बेन्याज़ बेख़बर हैं।

मुसलमान अगर ईमान की शरतें जान लें, स्कूली किताबों और

स्कूलों के तरीके तअलीम पर नजर रखें; टी. वी. पर हराम प्रोग्राम नह खुद देखें नह बीवी बच्चों को देखने दें और दीनी मुआमलात में अपनी जुबान का बेवजह इस्तेअमाल नह करें तो बड़ी हद तक ईमान की सलामती का मसअलह हल हो सकता है।

हज के सिलसिले में भी नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है:–

"जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ हज के अरकान अदा किए वह गुनाहों (गुनाहे सगीरह (छोटे)) से पाक साफ़ हो गया"

यहां भी ईमान को मुक़द्दम रखा गया है। मअलूम हुआ किह बगैर ईमान कोई अमल मक़बूल नहीं। इसी तरह कुरबानी के सिलसिलें में ऊपर बयान करदह फ़ज़ाइल व फ़वाइद उसी सूरत में हासिल हो सकते हैं जब ईमान की सलामती यक़ीनी हो। कुफ़रियात के इस दौर में जब ईमान की सलामती यक़ीनी नहीं तो तजदीदे ईमान करते रहना लाज़मी हो गया है किह न जाने किस वक्त मौत का परवानह आ जाए। इसलिए कम से कम सुबह को और रात को, हर नमाज़ से पहले और हर अच्छे अमल से पहले तजदीदे ईमान कर लेने की आदत बना लेना चाहिए। जिससे वह अमल मोमिन का अमल लिखा जाए और उसके मक़बूल होने की उम्मीद हो सके इसी में ख़ैरियत नज़र आती है।

तजदीदे ईमान इस तरह करें

अव्वल आख़िर तीन बार दुरूद शरीफ़ के साथ तीन तीन बार इस्तिग़फ़ार और कलमए तौहीद इस तरह पढ़ लिया करें :–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ ۝

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

सच्ची तौबह करने के बअद यह भी जरूरी है किह गुनाह दोबारह नह करने का पक्का इरादह भी करें।

कुरबानी से पहले भी तजदीदे ईमान का यह अमल जुरूर कर लें। ईमान व कुफ़्र की तफ़सील के लिए **फ़लाहेमिल्लत** पढ़ें।

2. **इख़लासे अमल**

हर एक अमल की मक़बूलियत का इनहिसार ईमान के बअद उसकी नियत पर होता है किह वह अमल रज़ाए इलाही और उसकी इताअत व बन्दगी के लिए है या वह नफ़्स से आलूद होकर रिया (दिखावा) हो गया है।

नमाज़, रोज़ह, ज़कात और हज बिलखुसूस जिहादे फ़ी सबीलिल्लाह बुनयादी तौर पर हम से यही मुतालबह करते हैं किह उनकी अदायगी में रज़ाए इलाही के अलावह किसी दूसरी बात का शायबह भी नह पाया जाए वरनह कुबूलियत का कोई इमकान नहीं। अल्लाह तआला फ़रमाता है:–

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

तरजुमह:– फ़रमा दीजिए (ऐ नबी) बेशक मेरी नमाज़ और मेरी कुरबानी मेरी ज़िन्दगी और मौत अल्लाह तआला ही के लिए है जो सारे जहानों का परवरदिगार है।

JANNATI KAUN?

कुरबानियां दरअसल हमारे आमाल व अफ़आल (काम) को जांचने का ज़रिअह हैं; यह कुरबानियां चाहे माल से हों चाहें अपने मुसलमान भाइयों की ज़रूरतों पर अपनी ज़ुरूरतों को कुरबान करने से मुतअल्लिक़ हों, हर मक़ाम पर फ़क़त रज़ाए इलाही मद्देनज़र रहना लाज़मी है। अल्लाह तआला को गोश्त व खून से सरोकार नहीं वह तो इख़लासे नियत और सिद्क़दिली को मुलाहिज़ह फ़रमाता है। इरशादे रब्बानी है:–

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

तरजुमह :– "अल्लाह को हरगिज़ नह उनके गोश्त पहुंचते हैं नह उनके खून। हां तुम्हारी परहेज़गारी वहां बारयाब होती है"

अल्लाह तआला हमारे इख़लासे अमल के एतबार से अज्र व सवाब या अज़ाब व इताब देता है। कोई अमल अगर सिर्फ़ अज़ाब व इताब के डर

से किया जाए तो इससे इख़लास नहीं मजबूरी झलकती है और अगर सिर्फ़ सवाब की नियत से किया जाए तो इस में लालच झलकता है, इख़लास नहीं।

हज़रत राबिअह बसरी रदीयल्लाहु अन्हा एक मरतबह इस तरह जा रही थीं किह उनके एक हाथ में शमअ थी और दूसरे हाथ में पानी। किसी ने दरयाफ़्त किया, आप इस तरह कहां जा रही हैं।

आप ने फ़रमाया :–

इस आग से जन्नत को जलाने और इस पानी से दोज़ख़ को ठंडा करने जा रही हूँ

और इसकी वजह यूं ब्यान फ़रमाई:–

आज कल लोग अपने अमल या तो जन्नत के लालच में करते हैं या दोज़ख़ से डर कर, रज़ाए इलाही के लिए नहीं करते।

3. हलाल माल:–

कुरबानी में ख़र्च किया जाने वाला रूपयह हलाल होना चाहिए। अगर एक रूपयह भी हराम का शामिल किया गया तो कुबूलियत की उम्मीद नहीं। यह हुक्म सिर्फ़ कुरबानी के माल के लिए नहीं तमाम दीनी कामों में इस्तेअमाल किए जाने वाले माल के लिए है।

लुब्बेलुबाब

कुरबानी से सुन्नते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सुन्नते हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी और उसके फ़ाइदे जब ही हासिल हो सकते हैं जब कुरबानी सिर्फ़ रज़ाए इलाही को मद्दे नज़र रखकर की जाए। रज़ाए इलाही इस में है किह अपनी पसंदीदह चीज़ कुरबान की जाए और इस कुरबानी के लिए पसंदीदह चीज़ तंदुरुस्त, खूबसूरत जानवर ही है। इसलिए अपनी हैसियत के मुताबिक़ हलाल माल से अच्छे से अच्छे जानवर की कुरबानी अल्लाह तआला के हुज़ूर पेश करनी चाहिए। यहां कुरबानी को दिल पर बार समझना और उसमें कंजूसी

JANNATI KAUN?

करना इख़लास को बरबाद कर देता है। जिन्दगी में हम कितने ही नागहानी हादसात और बीमारियों के ना क़ाबिले बरदाश्त इख़राजात बरदाश्त करते हैं और पैदाइश, शादी व मौत, मकानों की ग़ैर जुरूरी आराइश, मेअयारे जिन्दगी (STANDARD OF LIVING) और गाम व नमूद (दिखावे) के नाम पर बेहिसाब दौलत पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन दीन के कामों में खर्च करने में कंजूसी करते हैं। एक शख़्स ने अपने लड़के की मंगनी हाथियों पर भेजी तो लड़की वाले क्यूं पीछे रहते उन्होंने जवाब में सिर्फ़ मंगनी की रस्म पर अस्सी हज़ार (80000/-) ख़र्च किए और हज करने से गुरेज किया। याद रखिए जितनी ज़्यादह दौलत होगी उतना ही सख़्त हिसाब लिया जाएगा। दौलत हासिल करने के जरिअे और ख़र्च करने की मदों में हराम व हलाल का ख़्याल रखना लाज़मी है। फ़ज़्ले इलाही से फ़ाइदह उठाओ किह उसकी राह मे ख़र्च किया गया माल कितनी ही आफ़ात व परेशानियों से महफ़ूज़ रखता है जिससे नागहानी इख़राजात बच जाते हैं, अल्लाह की राह में हाथ खोलकर तो देखिए। एक का दस गुना लौटाने का वअदह अलग और सवाब अलग, आफ़ात से हिफ़ाज़त इसके अलावह।

जब दुनया में हम किसी को कोई तोहफ़ह पेश करते हैं तो निहायत आला दरजे की चीज़ पेश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर पेश की जाने वाली चीज़ अपनी वुसअत के मुताबिक़ किस क़द्र आला दरजे की होनी चाहिए आप खुद अन्दाजह लगा सकते हैं।

जो मालदार लेकिन कनजूस लोग निहायत कमज़ोर ससते जानवर की कुरबानी करते हैं उनके मुतअल्लिक़ अल्लाह तआला फ़रमाता है:-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ
هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۭ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا
بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ

तरजुमहः– जो लोग बुख़्ल (कनजूसी) करते हैं उसके साथ जो अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से उन्हें दिया वह यह गुमान नह करें किह यह उनके लिए अच्छा है बल्कि यह उनके लिए बुरा है। उसी चीज़ का क़यामत के दिन उनके गले में तौक़ डाला जाएगा जिसके साथ बुख़्ल (कनजूसी) किया।

नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़्वाज (बीवियों) ने दरयाफ़्त किया किह जन्नत में हम में से कौन आप से सब से क़रीब होगा। जवाब फ़रमायाः–

"जिसके हाथ सब से लम्बे होंगे" यअ़नी जिसके हाथ सदक़ह करने (अल्लाह की राह में ख़र्च करने) में सबसे ज़्यादह खुले होंगे।

आले रसूल की मुहब्बत
ख़ातिमह बिल ईमान की
ज़मानत है "उनसे दुश्मनी
रखने वाला जहन्नमी है"

अहकाम व मसाइल

A. शराइते कुरबानी

कुरबानी वाजिब होने की चार शराइत हैं:–

1. **मुसलमान होना**

   मुसलमान मर्द व औरत दोनों पर वाजिब है।

2. **मुक़ीम होना**

   मुक़ीम पर वाजिब है, मुसाफ़िर पर वाजिब नहीं, अगर नफ़िल के तौर पर कर सकता है तो सवाब पाएगा।

3. **ग़नी होना**

   ग़नी यअनी मालिक निसाब पर वाजिब है, मोहताज, फ़क़ीर, मुफ़लिस पर वाजिब नहीं।

मालिक निसाब कौन है ?

मालिके निसाब से मुराद इतना माल होना है जितना माल होने से सदक़ए फ़ित्र वाजिब होता है, वह मुराद नहीं जिससे ज़कात वाजिब होती है। यअनी **हाजते असलियह** के अलावह साढ़े सात तोले (7.5) सोना या साढ़े बावन तोले (52.5) चांदी या उसकी क़ीमत के बराबर रूपये का मालिक हो। आजकल 52.5 तोले चांदी की क़ीमत तक़रीबन पांच हज़ार रूपयह होती है (बाज़ार भाव से 52.5 तोले चांदी की क़ीमत मअलूम कर लें) **हाजते असलियह** के अलावह जिसके पास इतना रूपयह या इतनी क़ीमत का सामान हो, उस पर कुरबानी वाजिब है। इसमें ज़कात की तरह आक़िल बालिग़ और माले नामी होने की शर्त नहीं, यअनी माल पर साल गुज़रना शर्त नहीं, यहां तक किह अगर कुरबानी के दिनों में साहिबे निसाब हो गया तो उस पर कुरबानी वाजिब है।

औरतों के लिए एहकाम

अगर औरतें निसाब के बराबर सोना या चांदी की मालिक हैं तो उन

पर ज़कात भी वाजिब है और कुरबानी भी। ज़कात व कुरबानी का ख़र्च अगर शौहर नह बरदाश्त करे तो औरतों को अपने माल से ज़कात व कुरबानी करनी वाजिब है। अगर औरत के पास रूपयह नह हो तो सोना या चांदी बेच कर अदा करे। उन पर ज़कात व कुरबानी उस वक़्त तक वाजिब रहेगी जब तक सोना या चांदी कम होकर निसाब की हद से कम नह हो जाए।

हाजते असलियह क्या है ?

हाजते असलियह में रहने का मकान; सामाने ख़ानादारी; पहनने के कपड़ों में घर में पहनने के कपड़े और काम काज के वक़्त पहनने के कपड़े और जुमअह, ईद और दूसरे मौअकों पर पहनकर जाने के कपड़े, ख़ादिम; सवारी, हथयार, पेशे के असबाब व औज़ार और अहले इल्म के लिए हाजत की किताबें शामिल हैं।

इसके अलावह

टी. वी, रेडियो, टू इन वन, वी. सी. आर, वी. सी. पी., कैमरा वग़ैरह, मकानों की आराइश का सामान; वह सामान जो घर में मौजूद तो है मगर इस्तेअमाल में नहीं और नह उसकी जुरूरत है, जुरूरत से ज़ाइद कपड़े, मकान, दुकान, ज़मीन अगर यह काश्त की हो, जहेज़ के लिए ख़रीदह गया सामान वग़ैरह हाजाते असलियह में शामिल नहीं; इनकी क़ीमत निसाब में शामिल की जाएगी, यहां तक किह लोहालंगड़, कबाड़ख़ाना, अगर तिजारत के लिए नह हो, अगर निसाब भर हो जाए तो उसपर कुरबानी व फ़ितरह वाजिब है। मज़ीद तफ़सील बहारे शरीअत और उलमाए किराम से दरयाफ़्त कर सकते हैं।

क़र्ज़दारों के लिए हुक्म

जिस शख़्स पर क़र्ज़ है उसके माल से अगर क़र्ज़ की रक़म घटा दी जाए तो वह साहिबे निसाब नहीं रहता ऐसी सूरत मे कुरबानी वाजिब नहीं होगी। दूसरी सूरत में अगर क़र्ज़ की रक़म घटाने पर वह साहिबे निसाब रहता

है तो उस पर कुरबानी वाजिब होगी।

तंबीह

कुछ लोग क़र्ज़दार होने का बहाना बनाकर कुरबानी नहीं करते वह इस हुक्मे खुदावंदी से सबक़ लें और कुरबानी किया करें वरनह वाजिब अदा नह करने का गुनाह हर साल होता रहेगा।

4. आज़ाद होना

आज़ाद पर वाजिब है गुलाम पर वाजिब नहीं। इस दौर में गुलाम का दस्तूर नहीं है सब आज़ाद हैं। गुलाम से मुराद ख़ादिम व मुलाज़िम नहीं।

B. कुरबानी जिस पर वाजिब हो उसी के नाम से की जानी चाहिए

आम तौर पर यह देखा जाता है किह लोग जज़बह–ए–मुहब्बत के तहत कुरबानी अपने उन बीवी बच्चों, वाल्दैन, दादा–दादी, नाना–नानी वग़ैरह के नाम से कर देते हैं जिन पर वाजिब नहीं होती या इन्तिक़ाल कर चुके होते हैं। ऐसी सूरत में यह कुरबानी नफ़िल कुरबानी हो जाती है और वाजिब बरक़रार रहता है कुरबानी फ़ौत हो जाने से वह गुनाहगार होता है कुरबानी मय्यत की जानिब से भी की जा सकती है मगर अपना वाजिब अदा करने के बअ़द।

JANNATI KAUN?

बालिग़ बच्चे या बीवी के वाजिब अदा करने का हुक्म

बालिग़ बच्चे या बीवी, जिन पर कुरबानी वाजिब है, कोई उनकी जानिब से कुरबानी करना चाहे तो उनकी इजाज़त के बग़ैर वाजिब अदा नह होगा। उनकी इजाज़त लेना ज़रूरी है ।

C. कुरबानी का वक़्त

कुरबानी का वक़्त दसवीं ज़िलहिज्जह की सुबह सादिक़ से बारहवीं के गुरूब आफ़ताब तक है, उसके बअ़द फ़ौत हो जाती है। दसवीं तारीख़ सब से अफ़ज़ल है। शहर में नमाज़े ईद व ख़ुत्बे के बअ़द

और देहात में चूंकि नमाज़े ईद वाजिब नहीं कुरबानी सुबह सादिक़ से की जा सकती है।

किसी जुरूरत के तहत अगर कोई शहरी आदमी सुबह नमाज़े ईद से पहले कुरबानी करना चाहे तो जानवर देहात भेज दे।

दसवीं तारीख़ को अगर ईद की नमाज़ नहीं हुई तो जब ज़वाल का वक़्त आ जाए कुरबानी की जा सकती है दूसरे या तीसरे दिन नमाज़े ईद से पहले की जा सकती है।

D. कुरबानी के जानवर

ऊंट, गाय, बकरा, दुंबा, भैंस, भेड़ जो तमाम एब से पाक हों उनकी कुरबानी की जा सकती है। जानवर काने, लंगड़े, टूटे सींग वाले, कन कटे, बीमार, दुबले–पतले न हों। वहशी हलाल जानवर मसलन नील गाए, हिरन की कुरबानी नहीं की जा सकती। मुर्ग़ की कुरबानी नाजाइज़ है। ऊंट, गाय, भैंस में सात लोग शरीक हो सकते हैं।

जिसके दांत नह हों या जिसके थन कटे हों या खुश्क हों उसकी कुरबानी नाजाइज़ है बकरी में एक थन खुश्क हो, गाए भैंस में दो खुश्क हों तो नाजाइज़ है। जिसकी नाक कटी हो या इलाज के ज़रिअे दूध खुश्क कर दिया हो और जिसमें नर मादा दोनों की अलामतें हों और जो सिर्फ़ ग़लीज़ (गंदगी) खाता हो इन सब की कुरबानी नाजाइज़ है।

कुरबानी करते वक़्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया उसकी कुरबानी जाइज़ है।

कुरबानी के जानवर से कोई फ़ाइदह नहीं उठाया जा सकता जैसे बाल काट लेना, दूध दूह लेना, उस पर सवार होना या कोई चीज़ लादना या उसे उजरत पर देना यह सब मनअ है। अगर ऐसा कर लिया तो बाल, दूध और तमाम मुनाफ़ेअ का रूपयह सदक़ह कर दें।

जानवर ज़िबह होने के बअद उसके बाल दूध वग़ैरह इस्तेअमाल कर सकते हैं।

JANNATI KAUN?

E. जानवर की उम्र

ऊंट की उम्र कम से कम पांच साल, गाय, भैंस की दो साल और बकरे की एक साल होना ज़रूरी है। यह जुरूरी है किह कुरबानी का जानवर तर व ताज़ह, मोटा और खूबसूरत हो।

जानवर की उम्र की पहचान

दो साल की गाए, भैंस और एक साल का बकरा, बकरी इन सबकी एक ही पहचान है यअ़नी बीच के दो दांत बड़े हो। ऐसे जानवर को दन्तू या दंता हुआ कहते हैं। जिस जानवर के बीच के दो दांत बड़े नह हों उसे ऊना या ऊनी कहते हैं। ऐसे जानवरों की उम्र दो या एक साल से कम होती है और उनकी कुरबानी नहीं की जा सकती।

तंबीह

1. जानवर खरीदते वक्त ऊपर बताई गई पहचान ज़रूर देख लें और दन्तू या दंता हुआ ही जानवर खरीदें वरनह कुरबानी नहीं होगी।
2. जानवर बेचने वालों को अक्सर यह कहते सुना गया है किह जानवर एक या दो साल का हो चुका है लेकिन अभी दंता नहीं है। झूठ व फ़रेब के इस दौर में किसी का यक़ीन नहीं किया जा सकता। खुद पहचान कर जानवर ख़रीदें। एक जमानह था कि लोग गुनाह के डर से ऊने जानवर बेचने के लिऐ बाज़ार में लाते ही नहीं थे आजकल बेशुमार ऊने जानवर कुरबानी के दिनों बेचने ले आते हैं और यह बताते भी नहीं किह उनका जानवर ऊना है। क्यूं! इसलिए किह ख़ौफ़े खुदा जाता रहा।
3. यह जो मशहूर है किह एक साल से कम उम्र का जानवर अगर देखने में इतना बड़ा लगे किह दूर से देखने में साल भर का मअ़लूम हो तो उसकी कुरबानी जाइज़ है। **यह रिआ़यत सिर्फ़ दुंबे और भेड़ के बच्चे के लिए है, बकरा, बकरी के लिए नहीं।**

नोट– शरीअ़त में जानवरों की सिर्फ़ उम्र बताई है कोई पहचान नहीं

JANNATI KAUN?

बताई गई है। जानवर पालने वालों से पूछा गया, उनके नज़दीक एक साल (बकरा, बकरी) या दो साल (गाए, भैंस) उम्र होने की अलामत उनका दंता हुआ होना ही है यअनी बीच के दो दांत खूब बड़े हों जैसा किह ऊपर बयान किया गया है।

कुरबानी के शरीक

ऊँट, गाए, भैंस में सात लोग शरीक हो सकते हैं। शरीकों में से किसी का हिस्सह सातवें हिस्सों से कम नह हो।

शरीकों में से अगर किसी एक शरीक का हिस्सह सातवें हिस्से से कम हो तो किसी की कुरबानी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर कुल गोश्त 14 किलो है तो सातवां हिस्सह 2 किलो हुआ। अगर किसी एक शरीक का हिस्सह 2 किलो से कम है तो बाक़ी 6 शरीकों की भी कुरबानी नहीं होगी हालांकिह उन 6 शरीकों के हिस्से 2 किलो या उससे ज़्यादह होंगे।

इसलिए ज़रूरी है किह गोश्त तौलकर सात बराबर हिस्से किए जाएं अंदाज़ से हरगिज़ नहीं।

गाए, भैंस या ऊँट में सातवें हिस्से से ज़्यादह की कुरबानी हो सकती है मसलन गाए को 6 या 5 या 4 शख़्स की जानिब से कुरबानी करें, हो जाएगी और यह भी ज़रूरी नहीं किह सब शरीकों के हिस्से बराबर हों, कम, ज़्यादह भी हो सकते हैं हां यह ज़रूर है कि अगर किसी का हिस्सह कम है तो कुल गोश्त के सातवें हिस्से से कम नह हो।

कुरबानी के शरीकों में हरगिज बदमज़हब शामिल नह किए जाए

कुरबानी के शरीकों में अगर एक भी काफ़िर, बदमज़हब शामिल हो या किसी एक का भी मक़सद कुरबानी नहीं बल्किह गोश्त हासिल करना हो तो किसी की कुरबानी नहीं होगी।

बदमज़हबों के ज़िबह किए गए जानवर का गोश्त हराम व मुरदार है

F. हजामत व नाखुन नह कटवाना

जिसे कुरबानी करनी हो तो मुसतहब है किह पहली तारीख़ से कुरबानी करने तक नह हजामत बनवाए नह नाखुन कटवाए।

G. कुरबानी और अक़ीक़ह एक जानवर में करना जाइज़ है:–

कुरबानी के बड़े जानवर में अक़ीक़ह भी किया जा सकता है।

H. कुरबानी हर साल वाजिब है:–

जो शख़्स जितने साल तक साहिबे निसाब रहेगा उस पर हर साल कुरबानी वाजिब होगी।

मसलन घर के चार अफ़राद (लोगों) पर कुरबानी वाजिब है तो चारों अफ़राद को हर साल कुरबानी करनी चाहिए, ऐसा नह करें किह एक साल एक फ़र्द के नाम से कुरबानी कर दी, अगले साल दूसरे फ़र्द के नाम से करदी, इस तरह हर साल तीन लोगों की कुरबानी फ़ौत होती रहेगी और सब गुनेहगार होंगे।

I. किसी के इन्तिज़ार में कुरबानी मुलतवी करना (टाल देना) जाइज़ नहीं।

JANNATI KAUN?

कुछ लोग कुरबानी की नियत से जानवर तो ख़रीद लेते हैं लेकिन अगर उनका कोई क़रीबी अज़ीज़ बाहर गया हुआ हो और कुरबानी के मौक़ेअ पर घर वापस नहीं आ पाता तो घर के लोग कुरबानी मुलतवी कर देते हैं यह निहायत ग़लत है वाजिब फ़ौत होने से सब गुनेहगार होते हैं। किसी का इन्तिज़ार हरगिज़ नह करें। कुरबानी अल्लाह तआला का हुक्म बजा लाने के लिए है किसी अज़ीज़ के लिए नहीं।

J. निहायत क़ीमती जानवर की कुरबानी करना

जो लोग निहायत क़ीमती जानवर की कुरबानी नाम व नुमूद (दिखावे) के लिए करते हैं वह रिया है और कुबूल नहीं। कभी–कभी जानवरों की क़ीमत पचास हज़ार या एक लाख रू0 तक पहुंच जाती है या उनको सोने चांदी के ज़ेवरात पहनाकर अपनी शान दिखाई जाती है, ऐसे

अमल इख़लास को बरबाद कर देते हैं। इतनी क़ीमत में कई लोगों के वाजिब अदा किए जा सकते हैं। एक क़ीमती छोटे जानवर की जगह एक बड़े जानवर में हिस्से लेकर ज़्यादह लोग अपने वाजिब अदा कर सकते हैं।

K. जानवर अपने हाथ से ज़िबह करना चाहिए।

इसकी फ़ज़ीलत और बदमज़हब के ज़बीहे से महफ़ूज़ रहने की बात आप पढ़ चुके हैं।

L. कुरबानी का गोश्त

कुरबानी चाहे अपनी तरफ़ से हो चाहे किसी मय्यत की तरफ़ से उसका गोश्त खुद भी खा सकते हैं और अज़ीज़ों दोस्तों मालदारों व मुहताजों को भी खिला सकते हैं लेकिन कुरबानी अगर मन्नत या वसीयत की है तो इसमें से नह खुद खाएं नह मालदारों को दें बल्किह सब गोश्त सदक़ह कर दें।

गोश्त की तकसीम

कुरबानी का गोश्त तौलकर सात हिस्सों में तक़सीम किया जाए। अंदाज़ से तक़सीम करना मुनासिब नहीं। इस तरह हिस्से कम ज़्यादह हो सकते हैं और ऐसा करना जाइज़ नहीं जैसा पहले पढ़ चुके हैं।

अपने हिस्से के गोश्त या बकरे के गोश्त को तौलकर तीन हिस्से करना ज़रूरी हैं जिससे ग़रीबों का हिस्सह एक तिहाई (1/3) से कम नह हो जाए। उसके बअ़द अगर कोई चाहे तो अपने हिस्से का सब गोश्त या कुछ हिस्सह सदक़ह कर सकता है और अज़ीज़ों को भी दे सकता है। एक हिस्सह मिसकीनों ग़रीबो के लिऐ, दूसरा अज़ीज़ों व अहबाबों के लिए और तीसरा हिस्सह अपने लिये रखे। **गोश्त के ख़ास ख़ास हिस्से जैसे कलेजी, गुर्दे, चाप वग़ैरह अलग कर लेना दुरूस्त नहीं।**

हमारे आक़ा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़रीबों, बेवाओ, मिसकीनों, फ़क़ीरों, यतीमों से निहायत मुहब्बत फ़रमाते थे। जब आप अपने प्यारे आक़ा की सुन्नत कुरबानी में अदा कर रहे हैं तो

इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों को नह भूलें उन्हे नजर अंदाज नह करें। अपनी कुरबानी के गोश्त का एक तिहाई हिस्सह मुस्तहिक लोगों को तलाश करके उन तक पहुचाएं पेशावर फ़क़ीरों को नह दें उनको सदक़ह ख़ैरात देना मनअ है। **ग़रीबों का हक़ मार कर तमाम गोश्त अपने अमीर दोस्तों रिश्तेदारों में तक़सीम करके या तमाम गोश्त अपने फ्रिज में भरकर हफ़्तों खाने का इन्तिज़ाम करके कुरबानी की रूह को मजरूह नह करें।**

अगर किसी शख़्स के बाल बच्चे बहुत हैं और उसको साहिबे निसाब होकर भी गुंजाइश नहीं तो बेहतर यह हैं किह सब गोश्त अपने बाल बच्चों के लिए रख ले।

कुरबानी करने वाला बक़रईद के दिन सबसे पहले कुरबानी का गोश्त खाए।

M. कुरबानी का गोश्त काफ़िरों को देना, खिलाना मनअ है

कुरबानी एक अहम दीनी फ़रीज़ह एक अहम सुन्नत है इसका गोश्त काफ़िरों को देना, खिलाना हरगिज़ जाइज़ नहीं। ग़ैर मुस्लिम साथियों, ग़ैर मुस्लिम नौकरों, मेहतरों, धोबियों, बच्चों की स्कूली आयाओं उनकी टीचरों वग़ैरह किसी भी ग़ैर मुस्लिम को कुरबानी का गोश्त हरगिज़ न दें।

अगर मजबूरी हो तो बाज़ार से ख़रीदकर उन्हे खिला दें। जहां कुरबानी में हज़ारों रूपया ख़र्च कर रहे हों वहां सौ या दो सौ रूपये बाज़ार के गोश्त पर भी ख़र्च कर के अहकाम शरीअत की पाबंदी कर सकते हैं।

N. किसी का हदयह वापस नह करें

अपने भाई के किसी भी क़िस्म के हदये को वापस करना उस का दिल दुखाना या उसको हक़ीर समझना है और यह बहुत बड़ा गुनाह है। अक्सर लोग यह कहकर कुरबानी का गोश्त वापस कर देते हैं किह हमारे यहां बहुत गोश्त है, फ्रिज भरा हुआ है, ऐसा कहना कभी भी दुरुस्त नहीं। ऐसी सूरत में आप अपने भाई का हदयह तो जुरूर कुबूल करले चाहे बअद में आप अपने किसी दूसरे भाई को हदयह कर दें।

JANNATI KAUN?

हदयह में बदला नहीं।

कुरबानी के गोश्त का हदयह हो या कोई दूसरा तबर्रुक, अक्सर लोग कहते हैं किह फ़लां ने हमारे यहां नहीं भेजा, हम उन को क्यूं भेजें। हदयह देने में या अपने भाई के साथ किए गए किसी एहसान का बदला चाहने में मोमिन की शान नहीं और यह इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है।

O. कुरबानी की खाल

बेहतर यह है किह कुरबानी की खाल, झोल रस्सी, हार वग़ैरह सब सदक़ह कर दें। चमड़े को अपने इस्तेअ़माल में लाया जा सकता है मसलन – जानमाज़, बिछौना, पानी का डोल वग़ैरह बनाया जा सकता है लेकिन खाल बेचकर क़ीमत अपने इस्तेअ़माल में लाना जाइज़ नहीं, अगर खाल बेच दी तो उसकी क़ीमत दीनी कामों में लगा सकते हैं और दीनी मदरसों को, मसाजिद के इमाम व मुअज़्ज़िन को बतौर मदद (मगर तनख़्वाह में नह दी जाए), ऐहले सादात को, उलमा–ए–किराम को, मसजिद व क़बरस्तान को, मुर्दे की तजहीज़ व तदफ़ीन (मय्यत के खर्च) वग़ैरह के लिऐ दी जा सकती है।

जिन को फ़ित्रह व ज़कात नहीं दी जा सकती मसलन दादा, दादी, नाना, नानी, पर दादा, पर दादी, पर नाना, पर नानी, पोता, पोती, पर पोता, पर पोती, नवासह, नवासी, पर नवासह, पर नवासी, शौहर, बीवी लेकिन कुरबानी की खाल की क़ीमत उनको भी दी जा सकती है

इल्म के बग़ैर अ़मल फ़ाइदेमंद नहीं और अ़मल के बग़ैर इल्म फ़ाइदेमंद नहीं।

कुरबानी का जानवर खुद पालकर अपने हाथ से जिबह करने की हिकमत

आपने पढ़ा किह अल्लाह तआला ने अपने ख़लील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी महबूब तरीन पसंदीदह चीज़ कुरबान करने का हुक्म फ़रमाया था। जब हम किसी जानवर की परवरिश करते हैं तो उससे मुहब्बत हो जाना फ़ितरी जज़बह है और महबूब चीज़ को कुरबान करके अल्लाह तआला का हुक्म बजा लाना उसकी रज़ा और कुरबत हासिल होने का ज़रिअह है। इसी लिए खुद पाला हुआ जानवर कुरबानी के लिए पेश करना अफ़ज़ल है।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बेटे को ज़िबह करना चाहा तो अर्ज़ किया किह परवरदिगार अगर यह ज़िबह किसी दूसरे के हाथ से हो जाता तो बेहतर था। अल्लाह तआला ने फ़रमाया किह यह काम तुम्हारे हाथों ही होना है। उस वक़्त फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया :-

इलाहुलआलमीन! इस इरशाद का मूजिब और सबब क्या है।

हक़तआला ने फ़रमाया:-

ताकिह मेरे सिवा किसी और की मुहब्बत ख़लील के दिल में नह रहे क्यूंकिह मैं मुहब्बत में किसी का शरीक होना पसंद नहीं करता।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से मुहब्बत की तो इम्तिहान में मुबतिला हुए, हज़रत यअक़ूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुहब्बत की तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चालीस (40) बरस उनसे गाइब रहे और हज़रत यअक़ूब अलैहिस्सलाम को उन की जुदाई की तकलीफ़ बरदाश्त करनी पड़ी। हमारे पैग़मबर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपने नवासों, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रदीयल्लाहुअन्हुम अजमईन की मुहब्बत जागुज़ीं (पैदा) हुई तो हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज़ किया कि उन में से एक को ज़हर दिया जाएगा और दूसरे को शहीद किया जाएगा।

JANNATI KAUN?

मतलब यह था किह महबूब के साथ कोई दूसरा मुहब्बत में शरीक नह हो।

हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत का मेअयार भी मोमिनों के लिए इसी तरह क़ाइम किया गया किह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत हर चीज़ की मुहब्बत पर ग़ालिब रहे। अल्लाह तआला फ़रमाता है:–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (التوبه)

तरजुमह:– ''ऐ नबी! तुम फ़रमादो किह ऐ लोगो! अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा कुनबह, तुम्हारी कमाई के माल और वह सौदागरी किह जिसके नुक़सान का तुमको अन्देशह है और तुम्हारी पसंद के मकान, इनमें कोई चीज़ भी अगर तुम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस की राह में जिहाद (कोशिश) करने से ज़्यादह महबूब हो तो इन्तिज़ार रखो जब तक अल्लाह अपना अज़ाब उतारे और अल्लाह तआला बेहुक्मों को राह नहीं देता''

कुरबानी अल्लाह के हुक्म की बजाआवरी, हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और महबूबे ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मज़कूरह तरीक़े से कुरबानी करने से सुन्नत की अदाइगी हक़ीक़त बन जाती है किह एक तरफ़ अल्लाह तआला के हुक्म पर अपने उस जानवर को जिसे पालने की बदौलत दिल में मुहब्बत पैदा हो गई थी, अपने हाथ से कुरबान करने से यह जज़्बह दिल में पैदा होता है किह अल्लाह के हुक्म पर दौलत तो दौलत हर महबूब चीज़ कुरबान कर देने में

कोई हिचकिचाहट नहीं। इस तरह अल्लाह तआला की मुहब्बत हर चीज की मुहब्बत पर ग़ालिब आ जाती है। अल्लाह तआला, जैसा किह आपने पढ़ा यही बात पसंद फ़रमाता है।

बदमज़हबों के हाथ का ज़बीहह हराम मुरदार है

अकसर मक़ामात पर क़स्साब (गोश्त का काम करने वाले लोग) बदमज़हब पाए जाते हैं। मुशरिक व बदमज़हबों के हाथ का ज़बीहह हराम व मुरदार है इस लिए कुरबानी के कुबूल होने का रास्तह कट जाता है। अपने हाथ से कुरबानी करने में एक हिकमत यह भी है किह कुरबानी बदमज़हब के हाथ से नह हो। ग़ैबदां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म हिकमत से ख़ाली नहीं। जानवर में किसी मुशरिक व बदमज़हब को शरीक करने से भी कुरबानी नहीं होगी। जैसा किह पहले पढ़ चुके हैं।

खबरदार! रोज़मर्रह के गोश्त में भी हलाल हराम देखना लाज़िमी है

रोज़मर्रह के गोश्त ख़रीदने में यह देख लेना काफ़ी नहीं है किह गोश्त बेचने वाला सहीहउलअक़ीदह है बदमज़हब नहीं है, देखना यह लाज़मी है किह जानवर ज़िबह किसने किया है वह कोई बदमज़हब तो नहीं। यह मअलूम करने के लिए क्या तरीक़ह इख़्तियार किया जाए यह इस बात पर मोनहसिर है किह आप अपने और अपने मुतअल्लिक़ीन के पेट हराम से बचाने में किस दरजह फ़िकरमंद रहते हैं। जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है।

आप को मअलूम होगा किह हराम का एक दाना चालीस दिनों की इबादत का नूर ख़त्म कर देता है और हराम खाने वाले की दुआ कुबूल नहीं होती।

आजमीने हज मुतवज्जेह हों

दौराने हज अपना जानवर खुद खरीद कर अपने हाथ से कुरबानी करें, या अगर किसी दूसरे शख़्स से कराएं तो वहां भी यह देखना जुरूरी है किह वह शख़्स सहीहउल अक़ीदह हो और आप वहां मौजूद रहें। अक्सर हज टूर वाले अपने आजमीने हज के लिए जिन जानवरों का इन्तिज़ाम करते हैं वह जानवर निहायत कमज़ोर दुबले और निहायत मैहंगे होते हैं। सऊदी हुकूमत के पास रूपया जमा करके हरगिज़ कुरबानी न कराएं। वहां बग़ैर किसी नाम के मशीनों से जानवर ज़िबह किए जाते हैं और मशीनों का ज़बीहह जाइज़ नहीं। तफ़सील के लिए **''अन्जुमन तहफ्फुज़े ईमान''** की किताब **''दस्तूरे हज''** *(उर्दू–हिन्दी)* देखें।

कुरबानी का तरीकह

कुरबानी के जानवर को नहला धुलाकर चारह पानी दें। कुरबानी की जगह भी पाक साफ़ कर लें किह नजिस (गंदी) जगह पर और भूके प्यासे जानवर की कुरबानी पेश करना मुनासिब नहीं । छुरी पहले से तेज़ कर लें लेकिन जानवर के सामने नह करें। जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह लिटाएं किह उसका मुंह क़िबलह की तरफ़ हो और ज़िबह करने वाला अपना दाहिना पावं उसके पहलू पर रखकर तेज़ छुरी से इस तरह ज़िबह करे किह चारों रगें या कम से कम तीन रगें कट जाएं।

जानवर ज़िबह करने से पहले यह दुआ पढ़ें और दुआ खत्म होते ही छुरी चला दें।

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ
وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ لَا شَرِیْکَ لَهٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ
وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ لَکَ وَمِنْکَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَکْبَرُ

ज़िबह के बअ़द यह दुआ पढ़ें

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَ
حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ۔

अगर दूसरे की जानिब से ज़िबह करे तो "मिन्नी" की जगह "मिन फ़लां" कहे यअ़नी "मिन" कहकर उसका नाम ले जिस के नाम की कुरबानी है। मिसाल के तौर पर

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ عَبْدُ اللّٰهِ كَمَا تَقَبَّلْتَ .....

अगर जानवर में कई हिस्सेदार हैं तो सबका नाम लिया जाए। ज़ुबान से नाम लेना ज़रूरी नहीं नियत काफ़ी है लेकिन दिल में सब हिस्सेदारों के नाम तय ज़रूर हों।

दुआ पढ़ना ज़रूरी है लेकिन दुआ पढ़कर जानवर के कान में फूकना ग़ैर ज़रूरी काम है।

ज़िबह के बअ़द जब तक जानवर ठंडा नह हो जाए यअ़नी उस के तमाम हिस्सों से रूह नह निकल जाए उस वक़्त तक नह हाथ पांव काटें नह खाल उतारें।

ज़िबह से पहले बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को भी ज़िबह कर दें। अगर कुरबानी के बअ़द पेट से ज़िन्दह बच्चा निकला तो उसे भी ज़िबह कर दें, बच्चा मरा हुआ निकले तो फेंक दें।

औरतें शौहरों की अ़ज़मत समझें, उनकी नाराज़गी से अन्देशह है किह ऐसी औरतों को मरते दम कलमह नसीब नह हो।

नमाजे ईदुज़्ज़ुहा

ईदुज़्ज़ुहा के तमाम अहकाम ईदुलफ़ित्र की तरह हैं सिर्फ़ बअ़ज़ बातों में फ़र्क़ है। इसमें मुसतहिब यह है किह नमाज़ से पहले कुछ नह खाया जाए अगरचेह कुरबानी नह करें और अगर कुछ खा लिया तो कराहत नहीं। कुरबानी के बअ़द बाल व नाखून कटवाना, रास्ते में बुलंद आवाज़ से **तकबीरे तशरीक़** कहना चाहिए। (आगे देखिए)

ईदुज़्ज़ुहा की नमाज़ शरअ़ई उ़ज़्र की वजह से बारहवीं तारीख़ तक बिला कराहत मुअख़्ख़र (देर करना) कर सकते हैं, बारहवीं के बअ़द नहीं पढ़ी जा सकती और बिला उ़ज़्र दसवीं तारीख़ के बअ़द पढ़ना मकरूह है। ईदुलफ़ित्र की नमाज़ सिर्फ़ दो दिन पढ़ी जा सकती है।

नमाज़ मुअख़्ख़र (देर करना) करने के शरअ़ई उ़ज़्र

सख़्त बारिश, या अब्र के सबब चांद नहीं देखा गया और गवाही ऐसे वक़्त गुज़री किह नमाज़ नह हो सकी, अब्र था और नमाज़ ऐसे वक़्त ख़त्म हुई किह ज़वाल हो चुका था।

JANNATI KAUN?

इसके अ़लावह ईदुलफ़ित्र की तरह मिसवाक के साथ गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुश्बू लगाना, शरअ़ई अंगूठी पहनना, नमाज़े फ़जिर बा-जमाअ़त पढ़ना, ईदगाह पैदल इतमीनान व विक़ार के साथ निगहें नीची करके जाना, एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते वापस आना, नमाज़े ईद के बअ़द सलाम, मुसाफ़ह, और मुआनक़ह (गले मिलना) एक दूसरे को मुबारकबाद देना, खुशी का इज़हार करना, अपनी खुशियों में ग़रीबों मुहताजों को शरीक करना, सदक़ह ख़ैरात करना वग़ैरह. मुसतहिब है।

सलाम, मुसाफ़ह, मुआनक़ेह में पहल करना सुन्नत है, इनमें पहल करने वाले को तीन चौथाई सवाब मिलता है। खुद खड़े होकर दूसरों का इन्तिज़ार करने में, किह वह आपके पास आकर आप से मुसाफ़ह व मुआनक़ह करें, तकब्बुर (गुरूर) झलकता है इससे परहेज़ करें।

तंदरुस्त व तवाना पेशहवर मांगने वालों को सदक़ह व ख़ैरात देकर

उनकी हौसलह अफ़ज़ाई नह करना चाहिए इस से मुसतहिक़ लोगों की हक़तलफ़ी होती है इसलिए सदक़ात व ख़ैरात, फ़ितरह व ज़कात की तरह ग़रीबों, मिसकीनों, बेवाओं, यतीमों, वग़ैरह को ही तलाश करके देना चाहिए। जिससे सदक़ात व ख़ैरात का मक़सद पूरा हो सके।

तकबीरे तशरीक़

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

तकबीरे तशरीक़ ज़िलहिज्जह की नवीं तारीख़ की फ़जिर से तेरहवीं तारीख़ की असिर तक पांचों वक़्त की हर एक फ़र्ज़ नमाज़ के बअ़द जो जमाअ़ते मुस्तहबह के साथ अदा की गई हो एक बार बुलन्द आवाज़ से पढ़ना वाजिब और तीन बार कहना अफ़ज़ल है।

तरकीबे नमाज़

नियतः– नियत की मैंने दो रकअ़त नमाज़ वाजिब ईदे अज़्हा मअ़ेह ज़ाइद छः (6) तकबीरों के, वास्ते अल्लाह तआ़ला के, मुंह मेरा कअ़बे शरीफ़ की तरफ़, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर।

अल्लाहु अकबर कहकर नाफ़ के नीचे हाथ बांध लें, सना (سُبْحَانَ से غَيْرُكَ) पढ़ें, फिर इमाम के साथ तीन तकबीरें कहें। पहली तकबीर पर हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दें, दूसरी तकबीर पर भी हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दें, तीसरी तकबीर कहकर हाथ बांध लें। इसके बअ़द इमाम के साथ पहली रकअ़त पूरी करें। दूसरी रकअ़त में इमाम की क़िरात के बाद इमाम के साथ तीन तकबीरें इस तरह कहें किह पहली तकबीर पर हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दें, दूसरी तकबीर पर भी हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दें, तीसरी तकबीर पर भी हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दें, चौथी तकबीर पर रुकूअ़ में चले जाएं और इमाम के साथ दूसरी रकअ़त पूरी करें और खुतबह सुने किह यह सुन्नत है – जुमअ़ेह का खुतबह सुन्ना फ़र्ज़ है।

नाफ़रमानों को तंबीह

हुज़ूरे अकरम स़ल्लल्लाहु, अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया :-

जिसे वुसअ़त हो (माल हो) और वह कुरबानी नह करे तो वह मेरी ईदगाह तक नह आए।

मुनकिरीन के शुबहात

माद्दह परस्ती और रात व रात दौलतमंद बनने की शदीद ख़्वाहिश के इस दौर में यह आवाज़ें आने लगी हैं :-

1. कुरबानी सिर्फ़ हाजियों के लिए है।
2. कुरबानी की वजह से हर साल लाखों जानवर ज़ाअ़ (बरबाद) हो जाते हैं और बे हिसाब रूपया बरबाद हो जाता है इसी रक़म को रिफ़ाई कामों (बेहतरी के काम) पर ख़र्च किया जाए तो मिल्लत के बहुत से बिगड़े हुए काम संवर सकते हैं।
3. ग़ैर मुक़ल्लिद (बदमज़हब) इस मुग़ालते में मुबतिला करते हैं किह कुरबानी चौथे दिन भी हो सकती है।
4. कुछ नाआक़बत अन्देश मुसलमान यह भी कहते है किह ईदुज़्ज़ुहा ज़ालिमों का त्योहार है, जानवरों पर ज़ुल्म किया जाता है –

अस्तग़फ़िरुल्लाह।

मज़कूरह ज़हन ऐसे बेलगाम लोगों का ज़हन है जिनके दिल मुसलसल गुनाह करते रहने से काले हो चुके हैं और वह हक़ (सहीह बात) समझने और उसे कुबूल करने से क़ासिर (मजबूर) हैं।

इनसान में दो क़िस्म के नफ़्स पाए जाते हैं।

1. नफ़्से लव्वामह (गुनाहों से रोकने वाली ताक़त यअ़नी ज़मीर)
2. नफ़्से अम्मारह (गुनाहों की तरग़ीब देने वाली ताक़त)

जब कोई शख़्स गुनाहों का इस दरजह इरतिकाब कर लेता है किह उसका नफ़्से अम्मारह, नफ़्से लव्वामह पर हावी आ जाता है तो वह नफ़्से

मुतामर्रदह यअ़नी सरकश और बाग़ी बन जाता है फिर वह शख़्स बेलगाम घोड़े की त़रह़ हो जाता है। उसके नज़दीक नह दीनी अह़काम की कोई हैसि़यत रह जाती है नह बुज़ुरगों की कोई हैसि़यत। वह दीनी मुआ़मलात में दख़ल अन्दाज़ होकर कुफ़्र के इरतिकाब तक पहुंच जाता है और ख़ौफ़े ख़ुदा और ख़्याले आख़िरत से मह़रूम हो जाता है।

नबी–ए–करीम, स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसीलिए

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

फ़रमाकर हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्मे दीन सीखना फ़र्ज़ फ़रमा दिया जिससे वह अल्लाह व रसूल को पहचानें, ख़ुदा का ख़ौफ़ आख़िरत का ख़्याल दिल में पैदा करें। दीन की बातों को समझें सीखें और शैतानी ह़मलों व कुफ़रियात से मह़फ़ूज़ रहकर अपने ईमान की ह़िफ़ाज़त कर सकें उनके ज़हन भटकने नह पाएं यही मुसलमानों के लिऐ असल सरमायह है,

JANNATI KAUN?

ईल्मेदीन सीखने के फ़र्ज़ को जबसे मुसलमानों ने तर्क किया है उनकी आख़िरत ख़तरे पड़ चुकी है और दुनिया में भी उनको इज़्ज़त व विक़ार ह़ासि़ल नहीं।

कुरबानियों पर मज़कूरह नुकतहचीनियों का ही क्या ज़िक्र ऐसे बेलगाम लोग दीन की हर उस बात पर नुकतहचीनियां करते ख़ौफ़ नहीं खाते जिनको उनका नफ़्स कुबूल नहीं करता। इस त़रह़ वह अल्लाह के अ़ज़ाब के मुस्तह़िक हो जाते हैं।

मुसलमान होने का दअ़वा करने वालों को इस्लाम के क़ानूनों को मानना पड़ेगा वरनह इस्लाम से ख़ारिज हो जाएंगे।

इसको यूं भी समझा जा सकता है किह आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के क़वानीन के पाबंद हैं। छोटी मोटी ख़िलाफ़ वर्ज़ी पर मअ़मूली सज़ा देकर मुआ़फ़ किया जा सकता है लेकिन किसी ऐसी हरकत के

सरज़द होने पर जिससे उस मुल्क पर आंच आती हो, मुल्कबदर कर दिया जाता है या ग़द्दारी के जुर्म में फांसी दे दी जाती है।

मुसलमान होने का दअ्वा करने के बअ्द क़ानूने शरीअ्त से बे न्याज़ होकर अपनी मरज़ी से ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। इस्लाम की तमाम बातों को दिल से सच जानो मानो या इस्लाम से ख़ारिज हो जाओ। अल्लाह तआला बेनियाज़ है उसने हमारे लिए जो हुक्म सादिर फ़रमाए हैं वह हमारी ही फ़लाह व बहबूद के लिए हैं।

कुछ लोग "ज़कात" को "टैक्स" समझते हैं और ज़कात अदा नहीं करते, कुछ कहते हैं किह कुरआन में कहा लिखा है नमाज़ पढ़ो और वह नमाज़ नहीं पढ़ते। कुरआनी आयात के ग़लत मअ्नी गढ़कर उनका मज़ाक़ उड़ाते हैं, मसलन كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ के मअ्नी यह बताते हैं किह कल्ला यअ्नी दाढ़ी साफ़ कराते रहो और दाढ़ी नहीं रखते वग़ैरह वग़ैरह–अस्तग़फ़िरुल्लाह यह सब कलमाते कुफ़्र हैं।

कुरबानी के सिलसिले में आप अहकामे खुदाबंदी और हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान और कुरबानी के फ़ज़ाइल व बरकात पढ़ चुके हैं। इनसे नज़रें चुराते हुए नुकतहचीनी करना गुमराही है और यह हरगिज़ ईमान वालों का काम नहीं हो सकता। मुसलमानों को तो यह हुक्म दिया गया है किह अल्लाह और उसके रसूल की इत्ताअत करो, अगर दीनी अहकाम से कोई बेज़ारी का इज़हार करके जहन्नम का रास्तह इख़्तियार करता है तो इसको बदबख़्ती ही कहा जाएगा।

कुरआने करीम में अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ
وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

तरजुमह:– जो हक़ वाज़ेह होने के बअ्द रसूल के ख़िलाफ़ करे और मुसलमानों से जुदा रास्ते पर चले हम उसे उसके हाल पर

छोड़ देंगे और जहन्नम में दाख़िल कर देंगे और वह क्या ही बुरी जगह है।

इस आयते करीमह में उन लोगों के लिए ग़ौर का मक़ाम है जो कुरबानी का इनकार करते हैं

मुनकिरीन के पहले शुबेह का इज़ालह

अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है:-

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

(अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और कुरबानी अदा करो)

इस इरशादे गिरामी में कुरबानी हज के साथ मशरूत नहीं हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बअद सिर्फ़ एक बार हज किया लेकिन आप हर साल कुरबानी अदा फ़रमाते रहे।

मअलूम हुआ किह कुरबानी हाजियों और ग़ैर हाजियों दोनों पर वाजिब है

JANNATI KAUN?

मुनकिरीन के दूसरे शुबेह का इज़ालह

अल्लाह तआला के अहकाम पर अमल करने में जो माल खर्च होता है वह उसी शख़्स के नज़दीक बरबाद कहला सकता है जो खुदा और आख़िरत पर यक़ीन नह रखता हो और जिसका नफ़्से अम्मारह नफ़्से लव्वामह पर हावी आ चुका हो जिसे ख़ौफ़े खुदा नह हो और वह बेलगाम हो चुका हो जैसा किह आप पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे पहलू से देखें तो कुरबानी का गोश्त खुद खाया जाता है, दोस्तों को खिलाया जाता है और गरीबों को सदक़ह किया जाता है, अब इसमें बरबाद क्या चीज़ हुई अपने खाने को तो बरबाद होना कह नहीं सकते और दोस्तों के हदयह और ग़रीबों पर सदक़ेह को बरबाद वही शख़्स कह सकता है जिसके दिल में नह अपने रिश्तेदारों, दोस्तों की मुहब्बत हो और नह ग़रीबों के लिऐ हमदर्दी।

कुरबानी के दिनों में कुरबानी करना उतनी क़ीमत का सदक़ह

करने से अफ़ज़ल है क्यूंकिह कुरबानी वाजिब है और सुन्नत है लेकिन सदक़ह सिर्फ़ नफ़िल है इसलिए कुरबानी अफ़ज़ल हुई।

कुरबानी वाजिब होने की सूरत में बग़ैर कुरबानी किए अपनी ज़िम्मेदारी से छुटकारा नहीं मिल सकता।

कुरबानी के वक़्त में कुरबानी करना ही लाज़िम है। कोई दूसरी चीज़ उसके क़ाइम मुक़ाम नहीं हो सकती।

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़्यामत तक के अपने ग़रीब उमत्तियों की तरफ़ से खुद कुरबानी फ़रमाई जैसा किह आप पहले पढ़ चुके हैं इससे अपनी उम्मत के लिए हुज़ूर की मुहब्बत और कुरबानी की एहमियत का अंदाज़ह लगाया जा सकता है किह जानवर की कुरबानी कितनी ज़रूरी है।

मुनकिरीने कुरबानी जब हराम कामों में दौलत पानी की तरह बहाते हैं तो उनको माल की बरबादी नज़र नहीं आती, अल्लाह व रसूल की इताअत में माल की बरबादी नज़र आती है। बन्दों के माल का मालिके हक़ीक़ी तो ख़ुदावंदे करीम ही है वह हम को दौलत देता है हम उसके ही माल को उसकी रज़ा पर ख़र्च कर देते हैं तो क्या कमाल करते हैं। यह तो उस महरबान की महरबानी है किह माल उसका ख़र्च करें सवाब हम को मिले।

जान दी, दी हुई उसी की थी
हक़ तो यह है किह हक़ अदा नह हुआ

मुनकिरीने कुरबानी के तीसरे शुबेह का इज़ालह

कुरबानी तीन (3) दिन तक की जा सकती है इसकी दलीलें मौजूद हैं लेकिन चौथे दिन भी कुरबानी की जा सकती है इस पर कोई दलील नहीं।

बा-अदब बा-नसीब
बे-अदब बे-नसीब

अल्लाह अ़ज्ज़ावजल फ़रमाता है :–

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۔

तरजुमहः– और वह अय्यामे मअ़लूमात में जानवरों पर ज़िबह के वक़्त अल्लाह का नाम लें।

इस आयते करीमह में **अय्यामे मअ़लूमात** से मुराद अय्यामे ज़िबह है और लफ़्ज़ अय्याम की दलालत कम से कम तीन दिनों पर है। इस तरह कुरबानी के तीन दिन तो यक़ीनन साबित हो गए चौथे दिन की कोई दलील नहीं।

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :–

जो आदमी कुरबानी करे उसके पास तीसरी रात के बअ़द कुरबानी का गोश्त नह हो।

मअ़लूम हुआ किह कुरबानी के लिए सिर्फ़ तीन दिन हैं

मुनकिरीन (नाफ़रमानों) के चौथे शुबेह का इज़ालह

जुल्म वह कहा जाता है जो अल्लाह तआला के हुक्म के ख़िलाफ़ हो जब किसी काम का हुक्म खुदा तआला खुद फ़रमाए तो उस काम का करना अैन फ़रमाबरदारी हुआ नह किह जुल्म हुआ। खुदा ने हलाल जानवरों का गोश्त खाने का हुक्म दिया है जिसके मुताबिक़ ऊंट, गाय, भैंस, बकरे, मुर्ग़ का गोश्त और मछली वग़ैरह खाई जाती है। क्या इन जानवरों का ज़िबह करना जुल्म कहलाएगा, हरगिज़ नहीं। खुद नाफ़रमान लोग भी ज़रूर खाते होंगे यहां उनको जुल्म नज़र नहीं आता सिर्फ़ कुरबानी में जुल्म नज़र आता है। यह वही लोग है जो बेलगाम हो चुके हैं इस्लाम की बातों में नुकतहचीनी करना उनकी आदत बन चुकी है। अल्लाह तआला के एक हुक्म को मानते हैं और रोज़ानह गोश्त खाते हैं, दूसरे हुक्म को जुल्म कहते हैं। यह बड़ी बे–हयाई है। ऐसे लोगों के साए से भी दूर रहना चाहिए

कहीं यह तुमको गुमराह नह कर दें।

नाफ़रमानों की सुहबत से बचना लाज़िमी है

नबी–ए–करीम स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़रमान है:–

जैसों में बैठोगे वैसे हो जाओगे

इसलिए

ऐ ब्रादराने इस्लाम!

हमेशह उलमाए किराम, दीनदार नेक लोगों की सोहबत में बैठने की आदत डालो, इसी में ख़ैरियत है। ऐसे सरकश और दीन के बाग़ी लोगों की सुहबत तुम को गुमराही के रास्ते पर डाल देगी। अल्लाह व रसूल की इत़ाअ़त करते रहो इसी में निजात है।

कुरबानी के मफ़हूम को एक बार फिर समझिए

मज़कूरह शेअ़र अपने ज़हन में लाइये :–

ऐ मुसलमां सुन यह नुकतह दर्से कुरआनी में है
अ़ज़मते इस्लाम व मुस्लिम सिर्फ़ कुरबानी में है

इस शेअ़र में कुरबानी से मुराद सिर्फ़ जानवर की कुरबानी नहीं जैसा किह आप पहले पढ़ चुके हैं, इसमें हर उस चीज़ की कुरबानी शामिल है जो दीन की तमाम राहों में की जाती है। इसमें इस्लाम व मुस्लिम की अ़ज़मत का तज़किरह है। मुस्लिम की अ़ज़मत बा–अ़मल होने मे है क्यूंकिह ज़मानह ज़ाहिरी किरदार से मुतास्सिर होकर उसकी अ़ज़मत कुबूल करता है। मुस्लिम के हर अ़मल में कुरबानी नुमायां है :–

नमाज़ बदनी इबादत है इसलिए इसमें मुसलमान अपने "आराम" के साथ नीद, वक़्त और रोज़ी कुरबान करते हैं, जाड़ों में ठंडे पानी से गर्मियों में गरम पानी से वुज़ू जिस्म को तकलीफ़ देकर उसका आराम कुरबान कर देता है।

रोज़ह भी बदनी इबादत है। इसमें भूक, प्यास, रोज़ी, वक़्त, नीद और रोज़ेह की हालत में काम की मशक़्क़त, पांच वक़्त की नमाज़ और

तरावीह की पाबंदी में "आराम" कुरबान किया जाता है।

ज़कात माली इबादत है माल कुरबान किया जाता है हज माली व जिसमानी इबादत है इसमें माल के साथ मज़कूरह चीजे कुरबान की जाती हैं।

इस्लामी अख़लाक़ की पाबंदी में, जो सेहतमंद मुआशरे का लाज़मी जुज़ है। ईसार व उख़ुव्वत, हदयह देना, मेहमान नवाज़ी, सिलह रहमी (अच्छा सुलूक) वग़ैरह के तहत जब मुसलमान अपने नफ़्से अम्मरह पर हावी आते हुए माल, वक़्त वग़ैरह कुरबान करते हैं तब अज़मत व विक़ार के मसतहिक़ क़रार पाते हैं और अज़मत व विक़ार की मनज़िलें तय करते हैं इस तरह वह इस्लाम की पहचान बनकर इस्लाम की अज़मत में चार चांद लगाते हैं। अब आप मज़कूरह शेअ़र पर एक बार फिर ग़ौर फ़रमाएं तो कुरबानी की हक़ीक़त को समझ जाएंगे।

जानवरों की कुरबानी के मुतअल्लिक आप पढ़ चुके है किह अल्लाह तआला को बहुत पसंद है और अल्लाह व रसूल की रज़ाजोई का ज़रिअह है। इसलिए इस शेअ़र के मफ़हूम को अपनी ज़िन्दगी में उतार कर अपनी और इस्लाम की अज़मत के मीनार बनने की कोशिश कीजिए।

JANNATI KAUN?

अहम हिदायात का ख़ुलासह

1. जिसके पास हाजते असलियह के अलावह 7½ तोले या 52½ तोले चांदी या बाज़ार भाव से उतना रूपया, या इतनी क़ीमत का सामान, या सब मिलाकर निसाब पूरा हो जाए उस पर कुरबानी और फ़ित्रह वाजिब है 100.00 फ़ी तोला चांदी का रेट मान लिया जाए तो निसाब की रक़म सिर्फ़ रू0 5250.00 बनती है। इतनी क़ीमत का सामान ज़्यादहतर मुसलमानों के मकानों में मौजूद होता है। टी.वी. की क़ीमत ही पांच हज़ार से ज़्यादह होती है इसलिए इस दौर में अगर हिसाब लगाएं तो ज़्यादहतर मुसलमानों पर कुरबानी वाजिब निकलेगी। ऐसे तमाम मुसलमानों को कुरबानी

का फ़रीज़ह अदा करना चाहिए वरनह गुनाहगार होते रहेंगे।

2. कुरबानी हलाल माल से करना चाहिए वरना मक़बूल नहीं।

3. कुरबानी हर साल वाजिब है। हर साल करनी चाहिए।

4. क़ीमती जानवर की जगह बड़े जानवर में हिस्से लेकर ज़्यादह लोगों का वाजिब अदा करना चाहिए।

5. कुरबानी जिस पर वाजिब हो उसी के नाम से करनी चाहिए।

6. नमाज़ और कुरबानी से पहले तीन बार इस्तिग़फ़ार और तीन बार कलमह–ए–तोहीद पढ़कर तजदीदे ईमान कर लें।

7. कुरबानी का जानवर अपनी माली हैसियत के मुताबिक़ सिर्फ़ हलाल माल से ख़रीदें जो मोटा ताज़ह, बेऐब और खूबसूरत हो। अपने पाले हुए जानवर की कुरबानी करना अफ़ज़ल है। जानवर ऊना या ऊनी (कम उम्र) नह हो और बेऐब हो।

8. दीन के हर काम में नियत को एक अहम मक़ाम हासिल है इस लिए कुरबानी ही नहीं तमाम अच्छे आमाल अल्लाह व रसूल की रज़ा जोई की नियत से और सवाब की नियत से करना चाहिए। नामवरी और दिखावे का कोई अमल अल्लाह की बारगाह में क़ाबिल कुबूल नहीं। जिस तरह हज के, इम्तिहान के, क़र्ज़ वग़ैरह के फ़ार्म उनकी शराइत पूरी किए बग़ैर मनज़ूर नहीं होते रद (Reject) हो जाते हैं इसी तरह कुरबानी और दीन के तमाम कामों को बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक़ करना उनकी मक़बूलियत के लिए लाज़मी है।

9. कुरबानी अपने हाथ से करनी चाहिए, किसी मजबूरी के तहत अगर दूसरे किसी शख़्स से ज़िबह कराएं तो वहां मौजूद ज़ुरूर रहें।

10. कुरबानी हरगिज़ बद्दीन व बदमज़हब शख़्स से नह कराएं वरना कुरबानी नह होगी। इसके अलावह आज कल काफ़िर अपना नाम बदलकर कुरबानी करने के लिए घूमते हैं अंजान क़साई से कुरबानी नह कराएं।

रोज़ानह ज़िन्दगी में भी लाज़िम है किह यह देख लिया जाए किह

आप जिस जानवर का गोश्त खरीद रहे हैं, खा रहे हैं वह जानवर किसी बदमज़हब दयोबन्दी वहाबी वग़ैरह ने तो ज़िबह नहीं किया है इन सब का ज़बीहह हराम है।

हज की कुरबानी में भी इस का ख़्याल रखना लाज़मी है।

11. गाए या भैंस के सात शरीकों में किसी बदमज़हब को शरीक नह किया जाए वरनह कुरबानी नहीं होगी। गोश्त तौल कर बराबर बराबर सात हिस्से किए जाएं अन्दाज़ से नहीं।

12. जिन्हें कुरबानी करनी हो वह पहली तारीख़ से कुरबानी करने तक हजामत, ख़त नह बनवाएं नह नाख़ुन कटवाएं।

13. कुरबानी के लिए 10–11–12 तीन दिन हैं लेकिन 10 तारीख़ को करना अफ़ज़ल है।

14. कुरबानी के गोश्त को तोलकर तीन हिस्से किए जाएं जिन में एक हिस्सह जो एक तिहाई से कम नह हो ग़रीबों को ज़ुरूर दिया जाए बाक़ी दो हिस्सों में एक अज़ीज़ों दोस्तों के लिए और एक अपने लिए रख सकते हैं। अपने घर वालों या ख़ास मुतअ़ल्लिक़ीन के लिए गोश्त के ख़ास–ख़ास हिस्से निकाल लेना दुरुस्त नहीं।

15. कुरबानी का गोश्त काफ़िरों, बद मज़हबों, देयाबदियों, वहाबियों और ऐसे तमाम फ़िरक़े वालों को और मेहतरों, काफ़िर धोबियों नौकरों, बच्चों के स्कूलों की काफ़िर आयाओं, कंजड़ फ़क़ीरों वग़ैरह को हरगिज़ नह दिया जाए। काफ़िरों की दअवतें इस गोश्त से नह की जाएं मजबूरी में बाज़ार के गोश्त से दअवतें कर सकते हैं।

16. किसी का भेजा हुआ गोश्त या कोई हदयह वापस नह करें और नह बदले का ख़्याल दिल में आने पाए।

17. कुरबानी का गोश्त या खाल कुरबानी की उजरत में नह दें।

पेशकरदह - अन्जुमन तहफ़्फ़ुज़े ईमान
538/8, नज़ीर मन्ज़िल, एजाज़ नगर, पुराना शहर, बरेली शरीफ़
फ़ोन- 9897662882

अक्टूबर - 2005

ऐ बेख़ौफ़ क़ौमे मुसलिम!

निजात मुनहसिर है इस बात पर है किह एक-एक अ़क़ीदह एहले सुन्नत व जमाअ़त का ऐसा पुख़ता हो किह ज़मीन, आसमान टल जाएं और अ़क़ीदह नह टले, फिर उस के साथ ख़ौफ़ लगा हो:-

"जिस को सल्बे ईमान (ईमान के छिन जाने का) का ख़ौफ़ नह हो, मरते वक़्त उस का ईमान सल्ब हो जाएगा। (ईमान छिन जाएगा)

सय्यदना फ़ारूक़े आ़ज़म रदीयल्लाहु अ़न्ह फ़रमाते हैं :-

अगर आसमान से निदा की जाए (आवाज़ आए) किह तमाम रूए ज़मीन के आदमी बख़्श दिए गए, मगर एक शख़्श, तो मैं ख़ौफ़ करूंगा किह वह शख़्स मैं ही नह हूं और अगर निदा की जाए "रूए ज़मीन के तमाम आदमी दोज़ख़ी हैं, सिवाए एक आदमी के," तो मैं उम्मीद करूंगा किह वह शख़्स मैं ही हूं।

ख़ौफ़ व रिजा (उम्मीद) का मरतबह ऐसा मुअ़तदिल (दरमियानी) होना चाहिए

(इरशादाते आ़ला हज़रत)

जरूर पढ़ें :- तमहीदे ईमान (ईमान क्या है) - आ़लाहज़रत

JANNATI KAUN?

फ़रयाद

दर्दे दिल कर अ़ता या रब
दे मेरे दर्द की दवा या रब

लाज रख ले गुनाह गारों की
नाम रहमान है तेरा या रब

ऐब मेरे नह खोल महशर में
नाम सत्तार है तेरा या रब

बे ससब बख़्श दे नह पूछ अ़मल
नाम ग़फ़्फ़ार है तेरा या रब

बोने वाले जो बोएं वह काटें
यह हुआ तो मैं मर मिटा या रब

ख़ाक कर अपने आसताने की
यूं हमें ख़ाक में मिला या रब

तूने मेरे ज़लील हाथों में
दामने मुस्तफ़ा दिया या रब

इस निकम्मे से काम ले ऐसे
यह निकम्मा हो काम का या रब

मुझे ऐसे अ़मल की दे तौफ़ीक़
किह हो राज़ी तेरी रज़ा या रब

तूने दी मुझ को नेअ़मते इस्लाम
फिर जमाअ़त में ले लिया या रब

कर दिया तूने क़ादरी मुझ को
तेरी कुदरत के मैं फ़िदा या रब

JANNATI KAUN?

देके लेते नहीं करीम कभी
जो दिया जिसको दे दिया या रब

सायए पंजतन हो सारों पर
पाएं आरामे दो सरा या रब

दुश्मनों के लिए हिदायत की
तुझ से करता हूं इलतिजा या रब

तू हसन को उठा हसन करके
हो मअ़लस़्वैर स़्वातिमह या रब

(उस्ताज़े ज़मन मौलाना हसन रज़ा ख़ां बरेलवी)

JANNATI KAUN?

काम की बातें

अपने प्यारे आक़ा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूदे पाक का नज़रानह पेश करते रहा करो।

तौबह और तजदीदे ईमान करते रहा करो ख़ातिमह बिल ईमान की दुआ रोकर गिड़गिड़ाकर किया करो।

JANNATI KAUN?

हराम का एक दाना खाने से चालीस दिन की इबादतों का नूर ख़त्म हो जाता है और दुआ क़ुबूल नहीं होती।

काफ़िर की तअ़ज़ीम करना उन्हें ज़िन्दाबाद, मसीहा कहना हराम है